सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

बजट 2016-2017

श्रीमती वसुन्धरा राजे

मुख्यमंत्री
का बजट भाषण

8 मार्च, 2016

फाल्गुन कृष्ण १४, विक्रम संवत् २०७२

बजट 2016 - 2017

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2015–16 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ।

2. हमारी सरकार के प्रथम दो वर्षों में हमनें **'सबजन विकास सबजन उत्थान'** के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की आर्थिक प्रगति तथा sustainable, inclusive एवं equitous growth के लिए रूपरेखा तैयार कर कार्य किया है। प्रदेश में निवेश को आकर्षक बनाने के लिए हमनें सभी stake holders से विस्तृत चर्चा कर, पूर्व नीतियों की खामियों को दूर करते हुए उनके स्थान पर नयी नीतियाँ जैसे MSME, Mines, Start-up, Rajasthan Agro Processing and Agri-marketing Promotion, ITES, New Tourism Unit एवं Bio-technology Policies जारी कीं एवं कई सुधारात्मक कदम उठाये। परिणामस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में विश्व में सकारात्मक दृष्टिकोण बना है। नवम्बर 2015 में आयोजित Resurgent Rajasthan में, स्वदेशी ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों ने भी प्रदेश में कुल 3 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का निवेश करने हेतु 295 MoUs किये। यह हमारे द्वारा जारी की गयी नीतियों में निवेशकों का विश्वास ही है कि Resurgent Rajasthan कार्यक्रम के तीन माह बाद भी 11 हजार 531 करोड़ रुपये के 51 MoUs और किये गये। हमनें इन MoUs की क्रियान्विति के लिए monitoring system बनाया है तथा आगे हमारा प्रयास होगा कि इन सभी projects को शीघ्र ही धरातल पर लाया जाये, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो तथा प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

3. निवेश में वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय, सुशासन एवं job creation हमारी सरकार के मजबूत स्तंभ हैं। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में पहल करते हुए हमारी सरकार ने भामाशाह योजना, भामाशाह स्वरोजगार सृजन, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा, आरोग्य राजस्थान, मुख्यमंत्री जन–आवास, अन्नपूर्णा भंडार जैसी अनूठी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। न्याय आपके द्वार अभियान के तहत राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से 21 लाख से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इतना ही नहीं, हमनें प्रदेश में obsolete तथा irrelevant 61 मूल एवं 187 संशोधित अधिनियमों को repeal किया है।

4. हमारा मानना है कि राज्य के हर व्यक्ति की समस्या का समयबद्ध एवं नियमानुसार उचित समाधान हो। अब जनता शिकायत की रसीद प्राप्त कर सकती है। हमारे द्वारा बनाये गये राजस्थान सम्पर्क online portal के माध्यम से हमनें इस सपने को साकार करने का प्रयास किया है। इस portal के माध्यम से सरकार द्वारा इन शिकायतों पर हुई कार्यवाही की centralised monitoring करने के साथ–साथ जमीनी स्तर पर जाकर विभिन्न स्तरीय सत्यापन की संस्थागत व्यवस्था की गई है एवं सम्पर्क portal पर photo upload करने का भी प्रावधान किया गया है। यही नहीं शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट नहीं होने पर शिकायतकर्ता को यह अधिकार भी दिया गया कि वह अपनी grievance की पुनः जाँच करा सके। जन अभाव अभियोग की सुनियोजित व्यवस्था के कारण 7 लाख से भी अधिक दर्ज शिकायतों में से 89 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण फरवरी, 2016 तक किया जा चुका है।

5. आमजन की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप बनायी गयी हमारी योजनाओं की सफलता ही आधुनिक और प्रगतिशील राजस्थान की आधारशिला को मजबूती प्रदान करेगी। मुझे प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने गत् दो वर्षों में सुराज संकल्प में किये गये वायदों को पूरा करने के जो प्रयास किये हैं, उनसे राज्य में Vison-2020 के तहत हमारी सरकार द्वारा राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने की कल्पना साकार हो रही है। कौशल विकास, e-governance, अक्षय ऊर्जा, पर्यटन, जलग्रहण विकास एवं सहकारिता के क्षेत्र में किये गये कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहते हुए राज्य को पुरस्कृत भी किया गया है। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा किये गये वायदे पूरे होंगे तथा हम सभी के सपने सच होंगे ।

6. राज्य के सर्वांगीण विकास एवं नवनिर्माण के लिए टीम राजस्थान किस तरह समर्पित होकर कार्य कर रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि, जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि के अतिरिक्त मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के संसाधन जुटाने के लिए सांसद, विधायक, पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों, अधिकारियों, मीडिया, आमजन एवं civil societies का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। उदाहरण के लिए बाड़मेर के बुडीवाडा गाँव के हर परिवार ने इस योजना के लिए श्रमदान, ट्रैक्टर, जेसीबी या धनराशि आदि में से किसी एक माध्यम से अपना योगदान देने का निश्चय किया है। राजस्थान के विकास को ध्यान में रखते हुए किये गये इस प्रयास की एवं इस तरह के अन्य प्रयासों की जितनी सराहना की जाये, कम है। इस योजना के लागू होने के पूर्व से ही, ऐसा सहयोग मिलना राज्य की प्रगति के लिए एक

healthy indicator है। यह अभियान जनक्रांति का रूप ले चुका है। इस योजना के लिए मिल रहे जन–सहयोग से हम सब बहुत उत्साहित हैं, तथा मैं इस अभियान से जुड़े सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करती हूँ।

7. वर्तमान वर्ष वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से चुनौतिपूर्ण रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसका मुख्य कारण गत् सरकार के समय विद्युत वितरण कंपनियों का कुप्रबंधन, उनका 80 हजार करोड़ रूपये का विशाल ऋण, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के गिरते हुए मूल्य के कारण राजस्व में आयी कमी एवं वेतन–पेंशन पर बढ़ता हुआ व्यय रहा है। मैंने समय–समय पर सदन के अंदर तथा विभिन्न सार्वजनिक मंचों के माध्यम से प्रदेश की चरमराई अर्थव्यस्था, वित्तीय कुप्रबंधन और विशाल कर्ज के बोझ का उल्लेख आमजन, जनप्रतिनिधियों और मीडिया के समक्ष विस्तार से किया है। गहन अध्ययन और ठोस आकड़ों के आधार पर हमनें आने वाले जिस मुश्किल दौर का उल्लेख किया था और जिस बात की मुझे पूर्ण आशंका थी, वह अब सच साबित हुई है। राजस्थान की वित्तीय स्थिति और अर्थव्यवस्था पर होने वाले दूरगामी प्रभाव का अध्ययन किये बिना, मात्र राजनैतिक लाभ के लिए गत् सरकार द्वारा लिये गये वित्तीय फैसलों का दुष्प्रभाव अब प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर मैं अपने बजट भाषण के दौरान आगे भी उल्लेख करूँगी।

8. इन सभी वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद हमनें इस बजट में पूँजीगत कार्यों एवं सामाजिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए

पर्याप्त प्रावधान किये हैं। हमनें यह बजट लोगों की उम्मीदों के अनुसार ही बनाने का प्रयास किया है। उनके सपनों को साकार करने का प्रयास किया है। यह बजट सरकार का नहीं बल्कि प्रदेश की 7 करोड़ से अधिक जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और भावनाओं का प्रतिबिम्ब है। इस बजट के माध्यम से हमनें आगामी तीन वर्षों के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने की कोशिश की है, जो तीन साल में हमारे प्रदेश को एक ऐसे **'स्वच्छ राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान'** की ओर ले जायेगी, जहाँ मजबूत आर्थिक आधारभूत ढाँचे के साथ–साथ आमजन के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच होगा, जो किसी परिवार के जीवन में आने वाली आपदाओं के समय उसे संबल प्रदान कर सके, उसकी जिंदगी में खुशहाली ला सके और राजस्थान को सशक्त, समृद्ध, स्वाभिमानी और खुशहाल बना सके। तीन वर्षों के अंत में, मैं एक ऐसे प्रदेश की परिकल्पना कर रही हूँ, जहाँ के नागरिक skilled एवं digitally educated हों तथा सरकार की कार्यप्रणाली सरल, पारदर्शी एवं efficient हों और जो Vision 2020 को हासिल करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो।

9. हमनें लोगों की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को साकार रूप देते हुए, पूर्व वर्ष की भांति decentralised planning की भावना को संबल प्रदान करने की दृष्टि से जिला स्तर के जन–प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा के बाद जिलेवार कार्यों में से आवश्यकतानुसार कुछ को चिन्हित करते हुए संबंधित विभागों के action plan में शामिल करने का प्रयास किया है। आमजन की इन्हीं भावनाओं को समझते हुए बिजली, पेयजल, कृषि, सड़क, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है।

आर्थिक आधारभूत ढाँचा

सड़क :

10. राज्य में ग्रामीण सड़क तंत्र व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से हमारे द्वारा गत वर्ष ग्रामीण गौरव पथ योजना प्रारंभ की गयी थी। प्रथम चरण में 1 हजार 984 पंचायत मुख्यालयों पर 1 हजार 27 करोड़ रुपये की लागत से 1 हजार 955 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण कार्य जून, 2016 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। ग्रामीण गौरव पथ योजना को आमजन ने सराहा है। साथ ही 608 करोड़ रुपये की लागत से 2 हजार 182 किलोमीटर लंबाई की 1 हजार 9 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कार्य आगामी वर्ष में पूर्ण किया जायेगा। ग्रामवासियों, विशेषतौर पर महिलाओं की माँग को देखते हुए, मैं घोषणा करती हूँ कि द्वितीय चरण के तहत आगामी वर्ष में 2 हजार और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्रामीण गौरव पथ एवं मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

11. आगामी दो वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250 से 350 तक की आबादी की 1 हजार 468 बसावटों को 1 हजार 618 करोड़ 64 लाख रुपये की लागत से 4 हजार 303 किलोमीटर लंबाई की सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जायेगा।

12. प्रदेश में वर्तमान में कराये जा रहे 2 हजार 702 किलोमीटर लंबाई की non-patchable मुख्य जिला सड़कों, अन्य जिला सड़कों व ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण के कार्य तथा 99 पुलिया के निर्माण कार्य 605 करोड़ रुपये की लागत से आगामी वर्ष में पूर्ण कर लिये जायेंगे। साथ ही वर्ष 2016–17 में 2 हजार 500

किलोमीटर लंबाई से अधिक की अन्य non-patchable सड़कों के नवीनीकरण का कार्य 600 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

13. प्रदेश में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से 499 तक की आबादी के गाँवों को सड़क से जोड़ने की योजना के तहत जनवरी, 2016 तक 2 हजार 71 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण कर 934 गाँवों को जोड़ा जा चुका है एवं 85 गाँवों को और जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। शेष 37 गाँवों को नवीन तकनीक के आधार पर जोड़ने का कार्य भी आगामी वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा। इस योजना पर आगामी वर्ष में 142 करोड़ 85 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

14. भरतपुर में **गोवर्धन व बृज 84 कोस की परिक्रमा** का मार्ग सही नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग पर आवागमन को सुगम बनाने एवं यात्रियों को विविध सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु 103 करोड़ 94 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

15. रामदेवरा पश्चिमी राजस्थान में श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र है। पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए जोधपुर से रामदेवरा तक कच्चा मार्ग बनाये जाने के लिए सभी वर्गों द्वारा माँग की जा रही है। अतः जोधपुर से रामदेवरा तक 14 करोड़ 64 लाख रुपये की लागत से 4 मीटर चौड़ाई का कच्चा मार्ग बनाया जायेगा।

16. राज्य में dedicated freight corridor के तहत 337 करोड़ रुपये की लागत से निम्न 10 Rail over Bridges (RoBs) के निर्माण कार्य प्रारंभ किये जायेंगेः–

- सोजत, जिला पाली के रेल्वे स्टेशन के पास एलसी नम्बर 53
- जैतपुर–खोड़–जवाली सड़क, जिला पाली पर एलसी नम्बर 70
- चानोद–केनपुरा–रानी सड़क, जिला पाली पर एलसी नम्बर 74
- जवाई बाँध–बलवाना–बीसलपुर सड़क, जिला पाली पर एलसी नम्बर 88
- शाहपुरा–चिड़ावा सड़क, जिला सीकर पर एलसी नम्बर 72 एवं एलसी नम्बर 85
- श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में एलसी नम्बर 102
- बैराज बंधे के बालाजी–फुलेरा सड़क, जिला जयपुर पर एलसी नम्बर 249
- दूदू सांभर सड़क, जिला जयपुर पर एलसी नम्बर 5
- सिरोही से बनास जे.के. फैक्ट्री, जिला सिरोही पर एलसी नम्बर 108

17. इसके अतिरिक्त 761 करोड़ रुपये की लागत से निम्न 19 अन्य RoBs एवं 2 RuBs का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया जायेगाः–

- नसीराबाद–मांगलियावास, जिला अजमेर में एलसी नम्बर 18
- नेशनल हाईवे 79 II से स्वरूपगंज, जिला भीलवाड़ा एलसी नम्बर 72
- राज्य राजमार्ग, जिला उदयपुर में एलसी नम्बर 43 X
- खानभांखरी दौसा–कुण्डल सड़क, जिला दौसा में एलसी नम्बर 156
- धौली गुमटी फाटक, जिला दौसा में एलसी नम्बर 175
- जेठी वाली फाटक, जिला जयपुर एलसी नम्बर 206
- जालौर–बाकरा राज्य राजमार्ग, जिला जालौर में एलसी नम्बर 56
- भीनमाल रानीवाड़ा राज्य राजमार्ग, जिला जालौर में एलसी नम्बर 109

– राज्य राजमार्ग, जिला भरतपुर में एलसी नम्बर 214 एवं एलसी नम्बर 219
– मुख्य जिला सड़क, जिला बूंदी में एलसी नम्बर 136
– मुख्य जिला सड़क, जिला झालावाड़ में एलसी नम्बर 32
– फुलेरा–मेड़ता सड़क, जिला जयपुर एलसी नम्बर 1
– सवाईमाधोपुर–जयपुर सड़क, जिला जयपुर एलसी नम्बर 70
– रेवाड़ी–रींगस–फुलेरा सड़क, जिला जयपुर एलसी नम्बर 142
– हनुमानगढ़–लोहारू सड़क, जिला हनुमानगढ़ एलसी नम्बर 265
– मथुरा–अलवर सड़क, जिला अलवर एलसी नम्बर 95
– कोटा–रूथियाल सड़क, जिला कोटा एलसी नम्बर 38
– कोटा–मथुरा सड़क, जिला बूँदी एलसी नम्बर 116
– डाबला–आंसलू, जिला चूरू 275 किलोमीटर पर
– सातड़ा–जुहारपुरा–सहनाली छोटी, जिला चूरू 298 किलोमीटर पर

18. राज्य के ऐसे आबादी क्षेत्र जहाँ से राजमार्ग गुजरते हैं, के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नया बाईपास बनाया जाता है, तब आबादी क्षेत्र से निकलने वाले पूर्व में निर्मित राजमार्गों का समुचित रख–रखाव नहीं हो पाता है। पूर्व में निर्मित ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का कार्य 300 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जाने की मैं घोषणा करती हूँ।

19. मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केन्द्र सरकार ने इस वर्ष राज्य में 4 नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की है, जो कि निम्नानुसार हैंः–

– राष्ट्रीय राजमार्ग–48 दूदू के समीप से
  नरेणा–सांभर–नारायणपुरा–कुचामनसिटी–बुदसु एवं
  राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप छोटी खाटू

– मंदसौर–प्रतापगढ़–धरियाबाद–सलूंबर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग–927 के समीप डूंगरपुर

– राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप फलौदी से नागौर–तरनाउ, छोटी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग–458 के समीप खाटू

– राष्ट्रीय राजमार्ग–752 के समीप कवई से छबड़ा एवं राष्ट्रीय राजमार्ग–46 के समीप सदा कॉलोनी

साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए प्रदेश की वार्षिक योजना को बढ़ाकर 2 हजार 615 करोड़ 90 लाख रुपये किया गया है, जो कि वर्ष 2013–14 की 676 करोड़ रुपये की योजना से तीन गुना से भी अधिक है। इस हेतु मैं प्रदेश की ओर से केन्द्र का आभार व्यक्त करती हूँ।

20. सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए आगामी वर्ष में 5 हजार 690 करोड़ 11 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जोकि वर्ष 2015–16 के संशोधित अनुमान से 21.90 प्रतिशत अधिक है।

सड़क परिवहन :

21. राज्य में प्रदूषण जाँच केन्द्रों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के उद्देश्य से एवं समस्त वाहनों की प्रदूषण जाँच सुनिश्चित करने के लिए, प्रदेश के समस्त प्रदूषण जाँच केन्द्रों को networking के माध्यम से निजी जन–सहभागिता के आधार पर जोड़ा जायेगा।

22. नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के परिवहन कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के साथ–साथ

hardware, connectivity, breath analyzer and CCTV कैमरा उपलब्ध कराने हेतु 27 करोड़ 58 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

23. जोधपुर में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के नवीन भवन एवं कंप्यूटरीकृत ड्राईविंग ट्रेक का निर्माण 9 करोड़ 13 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

24. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी बस ऑपरेटर्स के माध्यम से ग्रामीण परिवहन बस सेवा संचालित की जा रही है। इस सुविधा को उपलब्ध कराने में निजी बस ऑपरेटर्स को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति हेतु viability gap funding के रूप में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

25. राजस्थान पथ परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु वर्ष 2016–17 में निम्नलिखित प्रावधान किये जा रहे हैंः–

- Reform Linked Plan के तहत 120 करोड़ रुपये की अनुदान राशि।
- राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण को निगम की स्थानान्तरित की जाने वाली सम्पत्तियों के विरूद्ध 300 करोड़ रुपये की अंश पूंजी।
- राज्य सरकार द्वारा बस यात्राओं पर दी जा रही विभिन्न रियायतों के लिए 160 करोड़ रुपये का अनुदान।

पेयजल :

26. प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर शहर–गाँव–ढ़ाणी तक शुद्ध पेयजल पहुँचाना अपने आप में चुनौती है। राज्य में सतही जल के स्रोत की कमी एवं भू–जल में गुणवत्ता की

समस्या के कारण शुद्ध पेयजल की योजनाओं की पूँजीगत लागत के साथ–साथ संचालन एवं रख–रखाव पर भी भारी वित्तीय खर्च होता है। राज्य में चल रही विभिन्न पेयजल योजनाओं का विद्युत भार ही प्रतिवर्ष 900 करोड़ रुपये से भी अधिक है, जबकि पेयजल से आय मात्र इसकी एक–तिहाई है। हमनें 18 वर्ष बाद पेयजल की दरों में परिवर्तन किया है। प्रदेश की जनता को गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति करने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक था। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में इन योजनाओं में न केवल सुधार होगा बल्कि पेयजल के सही उपयोग के बारे में लोगों में जागरूकता उत्पन्न होगी।

27. पेयजल योजनाओं पर सरकार के प्रथम दो वर्षों में हमनें 8 हजार 500 करोड़ रुपये से भी अधिक का व्यय किया है, जबकि गत् सरकार द्वारा प्रथम दो वर्षों में मात्र 3 हजार 785 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था। प्रदेश में अब तक 1 लाख 20 हजार से भी अधिक गाँव–ढ़ाणियों में से 68 हजार 99 गाँव–ढाणियों को पूर्ण रूप से पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2016–17 में 2 हजार अन्य habitations व 18 लाख की आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा।

28. हमनें निर्णय लिया है कि पेयजल योजनाओं को स्वीकृत करने का मापदण्ड, populism की जगह जनकल्याण होगा, इस हेतु लंबित परियोजनाओं को पूर्ण करना, हमारी प्राथमिकता रही है। हम चाहते तो पूर्व सरकार की तरह अनेक परियोजनायें बिना समुचित वित्तीय प्रबन्धन के स्वीकृत करते रहते। परन्तु हमनें गत् दो वर्षों में पूर्व की 24 स्वीकृत वृहद पेयजल परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए

वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इनमें से 19 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा लगभग 47 लाख जनसंख्या शुद्ध पेयजल से लाभान्वित हो रही है। इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए, वर्ष 2016–17 में वृहत परियोजनाओं के लिए 2 हजार 950 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें से 13 लंबित पेयजल योजनाओं के लिए 831 करोड़ रुपये का प्रावधान उपलब्ध कराते हुए पूर्ण करने की मैं घोषणा करती हूँ। इन योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

- तिवरी–मथानियां–ओंसियां–भोपालगढ़ पेयजल परियोजना, जिला जोधपुर (वर्ष 2007 की स्वीकृति)
- कोलायत लिफ्ट जल प्रदाय योजना, जिला बीकानेर (वर्ष 2007 की स्वीकृति)
- बीसलपुर–दूदू–फुलेरा पेयजल परियोजना, जिला जयपुर एवं टोंक (वर्ष 2002 की स्वीकृति)
- चंबल–भीलवाड़ा पेयजल परियोजना, जिला भीलवाड़ा
- क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना तहसील चाकसू, जिला जयपुर
- क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना तहसील फागी, जिला जयपुर
- क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना तहसील निवाई तथा टोंक, जिला टोंक
- बांसवाड़ा पेयजल परियोजना, जिला बांसवाड़ा
- चंबल–बूंदी पेयजल परियोजना, जिला बूंदी
- क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना फलोदी हेडवर्क्स भौरी–कला–खारा–जालोडा, जिला जोधपुर।
- क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना RGLC RD-42 घाटौर–कानासर–बाप, जिला जोधपुर।
- बाड़मेर लिफ्ट परियोजना द्वितीय चरण कलस्टर पार्ट–B, जिला बाड़मेर
- जवाई–पाली योजना द्वितीय चरण पार्ट–II, जिला पाली

इन योजनाओं के पूर्ण होने से 5 कस्बे तथा 4 हजार 586 गाँव एवं habitations की लगभग 28 लाख की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

29. जयपुर शहर के विस्तारीकरण से पेयजल की बढ़ी माँग को दृष्टिगत रखते हुए बीसलपुर–जयपुर पेयजल परियोजना द्वितीय चरण का कार्य 1 हजार 945 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

30. राज्य के कुछ चयनित जिलों में वर्षों से पेयजल आपूर्ति की समस्या बनी हुई है। इस समस्या के समाधान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट्स तैयार की गयी हैं। इसी क्रम में अब, मैं घोषणा करती हूँ कि इन projects की क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से वित्त पोषण के माध्यम से कराकर कार्य प्रारंभ करेगी। योजनाएं निम्नानुसार हैंः–

– राजसमन्द जिले के लिए देवास–III से पानी राजसमन्द झील में लाने हेतु प्रथम चरण में 1 हजार 64 करोड़ रुपये की लागत के कार्य।
– बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील के 188 गाँव तथा गुढ़ामलानी तहसील के 308 गाँवों को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु क्रमशः 459 करोड़ 64 लाख रुपये एवं 481 करोड़ 32 लाख रुपये की योजनायें।
– झुंझुनूं जिले में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से सूरजगढ़ कस्बा एवं सूरजगढ़, चिडावा एवं बुहाना तहसील के 190 गाँवों एवं 69 ढाणियों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 624 करोड़ 85 लाख रुपये की योजना।
– उदयपुरवाटी क्षेत्र के 94 गाँव एवं 504 ढाणियों की पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु 644 करोड़ 93 लाख रुपये की योजना।

31. सिरोही जिले में पेयजल समस्या के समाधान हेतु बत्तीसा नाले पर बाँध बनाकर पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना पर 213 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

32. दौसा जिले की पेयजल की समस्या के तात्कालिक समाधान हेतु 14 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

33. अटरू—शेरगढ़ जिला बारां पेयजल परियोजना का कार्य 80 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

34. राज्य में बंद पड़ी जनता जल योजनाओं को दुरस्त कर पुनः चालू करने हेतु वर्ष 2015—16 में 80 करोड़ रुपये की लागत से 1 हजार योजनाओं के सुदृढ़ीकरण के कार्य हाथ में लिये गये हैं। वर्ष 2016—17 में भी एक हजार और जनता जल योजनाओं को दुरस्त करने के कार्य हाथ में लिये जायेंगे। इस हेतु आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

35. आगामी वर्ष में दूर—दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता व feasibility अनुसार 4 हजार नये हैंडपंप लगाये जायेंगे। इस हेतु 40 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

36. गत् वर्ष मैंने बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू तथा गंगानगर जिले में विभाग द्वारा संधारित डिग्गी से संचालित पेयजल योजनाओं के रख—रखाव के लिए घोषणा की थी। आगामी वर्ष ऐसी पेयजल योजनाओं का दुरस्तीकरण 50 करोड़ रुपये की लागत से कराया जायेगा।

37. जैसलमेर जिले में डीज़ल generator set से संचालित 8 योजनाओं को सौर ऊर्जा से चलाने का pilot project हाथ में लिया जायेगा। इस हेतु 3 करोड़ 29 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

ऊर्जा :

38. जैसा कि आपको विदित है, गत् सरकार के कार्यकाल में विद्युत वितरण कंपनियों के ऋण एवं वार्षिक घाटे में अत्यधिक वृद्धि हुयी थी। वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंत तक इनका ऋण भार 72 हजार 722 करोड़ रुपये हो गया था तथा वार्षिक घाटा 15 हजार 645 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। गत् दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु अनेक प्रयास किये गये हैं। परिणामस्वरूप वर्ष 2014–15 में इन कंपनियों का घाटा 3 हजार 172 करोड़ रुपये कम हुआ तथा इस वर्ष भी लगभग 3 हजार 500 करोड़ रुपये का घाटा कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इन कंपनियों का ऋण भार इतना अधिक हो गया है कि ऋण की मूल राशि का एवं उसका लगभग 8 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक ब्याज भुगतान अपने स्तर से करने हेतु DISCOMs के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। गत् सरकार द्वारा आधारभूत संरचनाओं की उपेक्षा की कड़ी में ऊर्जा जैसी महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना की भी उपेक्षा की गयी। वित्तीय पुनर्गठन योजना–2012 को ईमानदारी से लागू नहीं किया गया और विद्युत कंपनियों को घाटे से उबारने के सुनियोजित, संगठित और सार्थक प्रयास नहीं किये गये। इतना ही नहीं ऊर्जा क्षेत्र में दूरगामी सोच के तहत संस्थागत सुधार की दिशा में ठोस सकारात्मक प्रयास का अभाव रहा। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने DISCOMs के revival के लिए

उनके कर्ज का भार अपने ऊपर लेते हुए भारत सरकार की Ujawal DISCOM Assurance Yojana (उदय) के तहत विद्युत वितरण कंपनियों के 30 सितंबर 2015 को अवशेष ऋण राशि 80 हजार 530 करोड़ रुपये का 75 प्रतिशत take over करने का निर्णय लिया। इसमें से लगभग 40 हजार करोड़ रुपये का take over वर्ष 2015–16 एवं लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का take over वर्ष 2016–17 में किया जायेगा। इस प्रकार लगभग 60 हजार करोड़ रुपये के ऋण take over करने का साहसिक फैसला लिया।

39. मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संस्थागत सुधार पर निरंतर ध्यान देने का नतीजा रहा है कि हमारी सरकार के प्रथम दो वर्ष में विद्युत उत्पादन क्षमता में 4 हजार 283 मेगावाट की वृद्धि हुयी है, जबकि गत् सरकार के प्रथम दो वर्षों में 2 हजार 293 मेगावाट की वृद्धि हुयी थी। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रदेश विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। एक हजार 273 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर राजस्थान देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर आ गया है। यही नहीं National Thermal Power Corporation द्वारा 420 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा भडला, जिला जोधपुर में विकसित किये जा रहे सोलर पार्क में लगायी जायेंगी। इस हेतु NTPC द्वारा आमंत्रित निविदाओं में सौर ऊर्जा का जो tariff प्राप्त हुआ है वह पूरे देश में सबसे कम है।

40. राज्य की माँग के अनुरूप प्रसारण एवं वितरण तंत्र को सुदृढ़ व विकसित करने के लिए गत् दो वर्षों में 765 केवी के दो, 400 केवी का एक, 220 केवी के 17, 132 केवी के 33 ग्रिड सब–स्टेशन

तथा 33 केवी के 643 सब–स्टेशन स्थापित किये गये हैं। आगामी वर्ष में 220 केवी के 6 तथा 132 केवी के 16 ग्रिड सब–स्टेशन तथा 33 केवी के 200 नये सब–स्टेशन स्थापित किये जायेंगे।

41. वर्ष 2014–15 व 2015–16 में 40–40 हजार कृषि कनेक्शन दिये जाने का मैंने उल्लेख किया था। आगामी वर्ष में भी 40 हजार नवीन कृषि कनेक्शन दिये जाने की मैं घोषणा करती हूँ।

42. जनजाति उपयोजना एवं सहरिया क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के कृषकों को on demand कृषि कनेक्शन देने का प्रावधान है। इन क्षेत्रों में अन्य श्रेणी के लंबित कृषि आवेदकों को मार्च 2018 तक कनेक्शन देने की तथा अप्रेल 2018 से इन क्षेत्रों में on demand कृषि कनेक्शन देने की मैं घोषणा करती हूँ।

43. कृषि कनेक्शन दिये जाने की निर्धारित सीमा के अधीन बूँद–बूँद, फव्वारा एवं डिग्गी सिंचाई पद्धत्ति आधारित कृषि कनेक्शनों को उनकी प्राथमिकता के समकक्ष प्रार्थी को सामान्य योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन जारी होने पर सामान्य योजना में परिवर्तित किया जाता है। कृषकों की माँग को दृष्टिगत रखते हुए मैं यह घोषणा करती हूँ कि इन योजनाओं में दिये गये कनेक्शनों को अधिकतम पाँच वर्ष पश्चात सामान्य योजना में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

44. राज्य के अविद्युतीकृत गाँवों एवं ढाणियों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करने के लिए वर्ष 2016–17 में 24 करोड़ 97 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

45. वितरण तंत्र के निकट होने पर भी बिजली कनेक्शन से वंचित आवासों को कनेक्शन देने हेतु वर्ष 2015–16 में प्रत्येक उपखंड

पर कैंप आयोजित कर 2 लाख 84 हजार घरेलु कनेक्शन दिये गये। आगामी वर्ष में भी आमजन की सुविधा हेतु इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जायेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और अन्य योजनाओं के अंतर्गत आगामी वर्ष में 8 लाख ग्रामीण आवासों को विद्युतीकृत किये जाने की मैं घोषणा करती हूँ।

46. राज्य में 40 प्रतिशत से अधिक बिजली की खपत कृषि क्षेत्र में होती है। बिजली की बचत के लिए वर्ष 2016–17 में प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी में पायलट बेसिस पर चिन्हित क्षेत्रों में किसानों को पुराने पम्प सैट के बदले नवीन energy efficient pump set योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध रूप में दिये जाने प्रस्तावित हैं।

47. राज्य सरकार ने ease of starting business पर विशेष ध्यान देते हुए नये औद्योगिक विद्युत कनेक्शनों के लिए पर्यावरण नियंत्रण मंडल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब मैं घोषणा करती हूँ कि 33 केवी तक के विद्युत कनेक्शन के लिए विद्युत निरीक्षक के certification के बदले self certification को मान्यता प्रदान की जायेगी।

48. स्वच्छ भारत अभियान के प्रति राजस्थान राज्य समर्पित है। इसी कड़ी में waste to energy power plants को बढ़ावा देने हेतु Rajasthan Electricity Regulatory Commission द्वारा निर्धारित दर पर इनसे विद्युत क्रय करने की मैं घोषणा करती हूँ।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

49. प्रदेश को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में project करने हेतु हमनें इस वर्ष राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, social media आदि में

वृहद स्तर पर aggressive marketing campaign जनवरी, 2016 में launch किया है, जिसका response positive रहा है। इसी क्रम में आगामी वर्ष में भी व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु 62 करोड़ 33 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के लिए इस वर्ष के संशोधित प्रावधान के मुकाबले 79 प्रतिशत वृद्धि कर आगामी वर्ष में 62 करोड़ 16 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

50. राज्य के विशाल भौगोलिक क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटकों की सुविधा के लिए हवाई परिवहन की सुविधाओं का विकास अत्यन्त आवश्यक है। राज्य की हवाई पट्टियों के सुधार एवं विकास हेतु आगामी वर्ष में 17 करोड़ 88 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

51. आमेर, नाहरगढ़, अलबर्ट हॉल, जंतर–मंतर, हवामहल, विद्याधर का बाग, सिसोदिया रानी का बाग एवं परियों के बाग के विकास एवं संधारण के लिए आगामी वर्ष में 22 करोड़ 60 लाख रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

52. आगामी वित्तीय वर्ष में सवाईमाधोपुर एवं झालावाड़ में State Institute of Hotel Management तथा धौलपुर एवं बारां में Food and Craft Institutes की स्थापना की जायेगी। साथ ही, उदयपुर के Food and Craft Institute को State Institute of Hotel Management में upgrade किया जायेगा।

53. जवाहर कला केन्द्र, जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के visual and performing arts जैसे थियेटर, संगीत एवं नृत्य का केन्द्र बनाने के लिए आगामी वर्ष में कुल 7 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

54. Rajasthan Oriental Research Institute जोधपुर में प्राचीन दुर्लभ सचित्र हस्तलिखित ग्रंथों का अमूल्य संग्रह है। इस दुर्लभ सांस्कृतिक धरोहर की पहुँच आमजन तक हो सके, इस हेतु संग्रहालय में ग्रंथों एवं चित्रों को सुसज्जित किया जायेगा, साथ ही शोधकर्ताओं को इस प्रतिष्ठान में उपलब्ध 30 हजार पुस्तकों का अध्ययन करने हेतु 1 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से आधुनिक संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना की जायेगी।

55. सत्रहवीं शताब्दी से बीसवीं शताब्दी तक के प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज बीकानेर के अभिलेखागार में संग्रहित हैं। इन्हें शोधकर्ताओं, पर्यटकों एवं आमजन के लिए प्रदर्शित करने के लिए 10 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से एक museum की स्थापना की जायेगी।

56. अजमेर स्थित शैक्षणिक फिल्म library में अत्यन्त दुर्लभ फिल्में उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ आजादी से पूर्व के मूल प्रिंट भी हैं। library में उपलब्ध दुर्लभ और प्राचीन फिल्मों को digitize करवाकर हैरीटेज के रूप में विकसित करने तथा उच्च स्तर की library की स्थापना हेतु 2 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

57. कथक नृत्य की प्राचीन एवं शास्त्रीय शैली में जयपुर घराना अपनी पृथक महत्वपूर्ण पहचान रखता है। जयपुर कथक केन्द्र द्वारा इस शैली के संवर्धन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जयपुर कथक केन्द्र परिसर के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के लिए 1 करोड़ 65 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

58. संस्कृत भाषा एवं उसके साहित्य के विकास एवं प्रोत्साहन करने की दृष्टि से जयपुर के गणगौरी बाजार में राजस्थान संस्कृत अकादमी के भवन को वैदिक हेरिटेज, पांडुलिपि संरक्षण एवं शोध केन्द्र के रूप में संचालित किया जायेगा। इस हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

59. आगामी वर्ष में संत रैदास पेनोरमा, चित्तौड़गढ़, पाबूजी का पेनोरमा, कोलू–जोधपुर, नागरीदास पेनोरमा किशनगढ़–अजमेर, कालीबाई पेनोरमा–डूंगरपुर, पन्नाधाय पेनोरमा कमेरी–राजसमन्द, हसनखां मेवाती पेनोरमा–अलवर, राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय, मानगढ़धाम–बांसवाड़ा, बप्पारावल पेनोरमा मठाठा–उदयपुर, महाकवि माघ एवं गणितज्ञ ब्रह्गुप्त पेनोरमा भीनमाल–जालौर, महाराणा राजसिंह पेनोरमा राजसमन्द एवं धन्ना भगत पेनोरमा जिला टोंक के कार्य 15 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

देवस्थान :

60. प्रदेश के 12 प्रमुख धार्मिक–सांस्कृतिक स्थलों–खाटू श्यामजी–सीकर, डिग्गी मालपुरा–टोंक, चौथमाता का बरवाड़ा–सवाईमाधोपुर, मातृकुण्डिया–चित्तौड़गढ़, मेंहदीपुर बालाजी–करौली, बेणेश्वरधाम–डूंगरपुर, रामदेवरा लुधरवा–जैसलमेर, सालासर हनुमानजी–चूरू, पुष्कर एवं बुढ़ा पुष्कर–अजमेर, रूपनारायणजी मंदिर, चारभुजाजी मंदिर–राजसमन्द तथा मगरा मेरवाड़ा के क्षेत्र का विकास 35 करोड़ रुपये की लागत से चरणबद्ध रूप से करवाया जायेगा।

61. राज्य के प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं अन्य विकास कार्य हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

वन एवं पर्यावरण :

62. शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने हेतु राज्य में '**नगर वन उद्यान योजना**' लागू की जायेगी। प्रथम चरण में जयपुर व अजमेर में कम से कम 20 हेक्टेयर भूमि पर नगर वन उद्यान विकसित किये जायेंगे, जिनमें स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष, औषधीय पौधे, जोगिंग ट्रैक एवं साईकिल ट्रैक आदि की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

63. मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत वन क्षेत्रों, वन्यजीव क्षेत्रों तथा गैर–वन क्षेत्रों में जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने हेतु राज्य के 17 जिलों यथा अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बांरा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमन्द, उदयपुर एवं सिरोही में 157 करोड़ 61 लाख रुपये की लागत से विशेष परियोजना क्रियान्वित की जायेगी।

64. राज्य में वन विकास एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु वर्ष 2016–17 में campa funds के माध्यम से 138 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

65. रणथम्भोर, सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स टाईगर रिजर्व के बीच स्थित गांवों के निवासियों के लिए वर्तमान में प्रचलित पुनर्वास पैकेज की समीक्षा कर उसे तर्कसंगत बनाया जायेगा। यह पुनर्वास का पैकेज उन्हीं गाँवों पर लागू होगा जो स्वेच्छा से अपने पुनर्वास की इच्छा व्यक्त करते हैं। टाईगर रिजर्व क्षेत्रों के निकटवर्ती गाँवों में नवीन कुकिंग गैस कनेक्शन हेतु वर्तमान में लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय है, जिसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की मैं घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष में ऐसे 40 हजार गैस कनेक्शन दिये जाने प्रस्तावित हैं।

66. रणथम्भोर टाईगर प्रोजेक्ट की सुरक्षा हेतु Special Tiger Protection Force (STPF) का गठन किया हुआ है। मैं अब सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स टाईगर प्रोजेक्ट के लिए भी STPF के गठन की घोषणा करती हूँ। इन 2 नये STPF के लिए के लिए पुलिस की जगह forest guard एवं forest watcher नियुक्त किये जायेंगे, जिनकी भर्ती केवल प्रोजेक्ट से विस्थापित होने वाले गाँव, प्रोजेक्ट से सटे हुए गाँव और उनके buffer क्षेत्र में स्थित गाँवों के युवाओं में से होगी। इस हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

67. पर्यावरणीय गुणवत्ता में गिरावट के प्रति बढ़ती चिंता को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा पर्यावरण संबंधी विषयों पर कौशल विकास के उद्देश्य से उत्कृष्ट संस्थाओं के सहयोग से Centre of Excellence की स्थापना की जायेगी।

68. राज्य सरकार की start-up नीति के अंतर्गत आने वाले जो उद्योग industrial waste से उत्पादों का निर्माण करेंगे, ऐसे पर्यावरण हितैषी उद्योगों की स्थापना के लिए महिला एवं युवा उद्यमियों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इस हेतु 5 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

69. वर्तमान में red, orange and green category के उद्योगों के संचालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जल अधिनियम 1974 एवं वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत दी जाने वाली consent की अवधि 3, 5 व 10 वर्ष होती है, जिसे बढ़ाकर क्रमशः 5, 10 व 15 वर्ष किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य के green category में वर्गीकृत

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, जिनमें वायु एवं जल प्रदूषण होने की संभावना नगण्य है, को मण्डल से जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत consent प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त करने की मैं घोषणा करती हूँ।

निवेश एवं आर्थिक वृद्धि

उद्योगः

70. वर्ष 2015–16 के बजट में उद्योगों के लिए land bank बनाने की घोषणा की गयी थी। रीको द्वारा राज्य में 6 हजार 800 हैक्टेयर भूमि का land bank बनाया जा चुका है। आगामी वर्ष में land bank को 10 हजार हेक्टेयर भूमि तक बढ़ाया जायेगा। साथ ही नये औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि की सूचना GIS के माध्यम से जन–साधारण को उपलब्ध करवायी जायेगी।

71. तेजी से बदलते औद्योगिक परिवेश में उद्यमी, भूमि एवं भवन पर पूंजी निवेश करने के स्थान पर समस्त सुविधायुक्त परिसर में अपना प्रोजेक्ट स्थापित करना चाहते हैं। राज्य में pollution free industries की स्थापना को सुगम बनाने के लिए रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में plug and play सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

72. प्रदेश में राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी–2015 लागू की गयी है। इसके तहत राज्य में युवा उद्यमियों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु वर्ष 2016–17 में 10 करोड़ 85 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

73. इलेट्रोनिक्स सिस्टम डिजाईन एवं विनिर्माण (ESDM) क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए रीको द्वारा कारोली औद्योगिक

क्षेत्र, भिवाड़ी में 122 एकड़ भूमि क्षेत्र पर green field electronic manufacturing cluster स्थापित किया जायेगा।

74. प्रदेश में textile processing एक महत्वपूर्ण उद्योग है। बालोतरा, पाली तथा जसोल में common effluent treatment plant के upgradation को मूर्तरूप देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 66 करोड़ रुपये का अंशदान दिया जायेगा।

75. Textile क्षेत्र में लगभग 11 हजार युवकों को integrated skill development scheme के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस योजना के तहत अब तक प्रशिक्षित युवकों में से 90 प्रतिशत को रोजगार उपलब्ध हो चुका है।

76. विश्व बैंक एवं औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ease of doing business में राजस्थान प्रदेश, देश में छठे स्थान पर है। हमारी सरकार राज्य में उद्योग की स्थापना एवं उसके संचालन को आसान बनाना चाहती है, जिसके लिए मैं वर्तमान में संचालित single window व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने की घोषणा करती हूँ। नवीन व्यवस्था में संबंधित विभाग, बोर्ड, प्राधिकरण के एक–एक अधिकारी को सःशक्त किया जाकर एकल खिड़की के तहत प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण हेतु जिम्मेदार बनाया जायेगा, जिससे कि एकल खिड़की पर कार्यरत विभागीय पदाधिकारी स्वयं के स्तर पर ही निर्णय ले सके और उद्योग स्थापित करने की अनुमति त्वरित गति से मिल सके। साथ ही राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) -2014 को पारदर्शी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए RIPS online portal को राज्य के समी जिलों में क्रियान्वित किया जायेगा।

77. नवयुवकों में design development के प्रति बढ़ती रूचि को देखते हुए राज्य में जयपुर के पास design innovation hub बनाने के लिए National Institute of Design की स्थापना की जायेगी, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 50 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी।

लघु उद्योग :

78. राज्य की अर्थव्यवस्था में Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) क्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 में MSME Policy के साथ–साथ अन्य योजनाएं जारी की गई हैं। इस क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए हम निम्न कदम उठायेंगे:–

– जयपुर एवं अजमेर में MSME Investment Facilitation Centre (MIFC) स्थापित किये गये हैं। इस प्रकार के centre सभी जिला उद्योग केन्द्रों में चरणबद्ध रूप से स्थापित किये जायेंगे। इन केन्द्रों के माध्यम से राज्य में उद्यमियों के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना हेतु आवेदन से अनुमोदन तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया को एकीकृत रूप से सरल, समयबद्ध और सुगम बनाने के उद्देश्य से online single window की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

– Micro Enterprises की स्थापना करने के इच्छुक बेरोजगार युवाओं के लिए सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से livelihood business incubator की स्थापना की जायेगी। इस हेतु 5 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

– प्रदेश के शिल्प का स्तर उन्नत करने, market linkage विकसित करने तथा शिल्पकारों के कौशल विकास हेतु हमनें

Rajasthan Craft Council का गठन किया है। Handmade in Rajasthan brand को प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश के दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बसे शिल्पकारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए Online Handmade in Rajasthan Portal स्थापित किया जायेगा।

- ग्रामीण अकृषि विकास अभिकरण (RUDA) के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में 60 हजार artisans को उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिलाने हेतु professional services hire की जायेंगी। इस हेतु आगामी वर्ष 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
- खादी को फैशन की मुख्य धारा में लाने एवं राजस्थान खादी बोर्ड के नये showroom खोलने के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा।
- Rajasthan Leather Handicraft and Modernisation Scheme के तहत ग्रामीण दस्तकार समुदाय द्वारा संचालित चमड़ा आधारित household उद्योग के लिए विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराई जायेगी एवं आगामी वर्ष में इस योजना का प्रावधान वर्ष 2015–16 के मुकाबले पाँच गुना किया जाना प्रस्तावित है।
- सुजानगढ़–चूरू में उप–जिला उद्योग केन्द्र खोला जायेगा।

खनन :

79. खनन क्षेत्र में पर्यावरण की क्षति के साथ–साथ खनन श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं उस क्षेत्र की सड़कों के रख–रखाव की भी समस्या रहती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए वर्ष 2016–17 में 150 करोड़ रुपये के चिकित्सा, पर्यावरण एवं सड़क संबंधी विकास कार्य करवाये जायेंगे।

कृषि एवं पशुपालन

कृषि :

80. फसल रबी 2015 में भीषण ओलावृष्टि से नुकसान होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 8 हजार 322 गाँवों के 29 लाख 24 हजार प्रभावित काश्तकारों को संबंल प्रदान करने की दृष्टि से 2 हजार 471 करोड़ रुपये की कृषि आदान अनुदान सहायता राशि इनके खातों में हस्तांतरित की गई, जो कि राजस्थान के इतिहास में अब तक अधिकतम है। मैं किसान भाईयों को आश्वस्त करना चाहूँगी कि सकंट की घड़ी में राज्य सरकार भविष्य में भी हर संभव सहायता करने का प्रयास करेगी।

81. फसलों के होने वाले नुकसान के पुनर्भरण के लिए वर्तमान में संचालित फसल बीमा योजना में कुछ विसंगतियां थीं, जिनको दूर कर भारत सरकार द्वारा '**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना**' लागू की गयी है, जिसमें किसानों को कम premium दर पर वास्तविक नुकसान की समय पर भरपाई होगी। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को लाभ पहुँचायेगी। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम राशि को बढ़ाकर 676 करोड़ 37 लाख रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

82. राज्य में आज भी अधिकतर जनसंख्या आर्थिक रूप से कृषि, बागवानी, पशुपालन, डेयरी, कृषि प्रसंस्करण एवं विपणन क्षेत्र पर निर्भर है। मैं घोषणा करती हूँ कि आगामी वर्ष में सुराज संकल्प के दौरान किये गये अपने वायदे को पूर्ण करते हुए वर्ष 2016 में Global Rajasthan Agritech Meet (GRAM) का आयोजन किया जायेगा। इस मेले के

आयोजन के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

83. वर्ष 2016–17 में 1 हजार 170 किसान सेवा केन्द्रों को क्रियाशील करने के लिए 5 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से फर्नीचर आदि उपलब्ध करवाया जायेगा।

84. गत् वर्ष राज्य में प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू की गयी थी, जिसके तहत अब तक 6 लाख 28 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये जा चुके हैं। इस योजना के तहत की गयी 3 लाख से भी अधिक मृदा जांचों से स्पष्ट होता है कि राज्य के अधिकांश जिलों में मृदा में प्रमुख रूप से zinc, iron, boron, manganese and magnesium जैसे सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी पायी जा रही है। सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की आवश्यकता के अनुसार राज्य के किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के किट उपलब्ध करवाये जाने हेतु योजना बनायी जायेगी।

85. वर्ष 2016–17 में किसान भाईयों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध करवाने के लिए 3 लाख मेट्रिक टन यूरिया, 20 हजार मेट्रिक टन डीएपी का अग्रिम भंडारण किया जायेगा, जिस पर 39 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही खरीफ में क्षारीय भूमि के सुधार हेतु जिप्सम उपलब्ध कराने के लिए मार्च, 2016 तक 50 हजार मैट्रिक टन जिप्सम का अग्रिम भंडार किया जायेगा।

86. राज्य में सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए बूँद–बूँद सिंचाई एवं मिनि स्प्रिंकलर संयंत्र पर वर्तमान में देय अनुदान को तर्कसंगत बनाने की माँग कृषकों द्वारा की जा रही है। उनकी माँग को ध्यान में रखते हुए मैं यह घोषणा करती हूँ कि इस योजना के तहत

आगामी वर्ष से लघु एवं सीमांत कृषकों को 70 प्रतिशत एवं सामान्य श्रेणी के अन्य काश्तकारों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। ग्रीन हाऊस और शेडनेट के लिए भी अनुदान बढ़ाया जाकर आगामी वर्ष से लघु एवं सीमांत कृषकों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 70 प्रतिशत एवं सामान्य श्रेणी के अन्य काश्तकारों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

87. प्रदेश के मरूस्थलीय एवं जनजाति क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती परंपरागत तरीकों से की जाती रही है। इन क्षेत्रों के उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, झालावाड़ एवं जैसलमेर जिलों के एक–एक विकास खण्ड को पूर्ण रूप से जैविक खेती में बदलने हेतु विशेष योजना बनाकर पायलट बेसिस पर कार्य प्रारंभ किया जायेगा। साथ ही Forest Training Institute झालावाड़ में organic farming का एक Centre of Excellence स्थापित किया जायेगा।

88. राज्य में किसानों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने हेतु विद्युत वितरण कंपनियों को दिये जा रहे अनुदान हेतु आगामी वर्ष में 7 हजार 205 करोड़ 13 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

89. गत् बजट भाषण में, मैंने ऐसे प्रगतिशील किसान जिन्होंने कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है, के तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव का लाभ अन्य काश्तकारों तक पहुँचाने के लिए honorary extension worker के रूप में मान्यता देने की घोषणा की थी। इस योजना के सार्थक परिणाम को देखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक

जिले में कम से कम 10 प्रगतिशील कृषकों को जोड़ा जायेगा। अब मैं घोषणा करती हूँ कि ऐसे प्रगतिशील कृषकों को व्याख्यान मानदेय के रूप में 1 हजार रुपये प्रति दिवस दिया जायेगा।

90. कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए मंडी online को आगे बढ़ाते हुए ई–मंडी की स्थापना की जायेगी, जहाँ किसान अपनी उपज को online बेच सकेंगे।

91. उद्यान विभाग ने वर्तमान में झालावाड़ में एक नया प्रशिक्षण module विकसित किया है। इसमें खेत पर ही दो दिवस का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। किसान दंपत्ति को वहीं पर बुलाकर सैद्धांतिक के साथ साथ प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। अब कृषि एवं उद्यानिकी विषयों पर ऐसे प्रशिक्षण राज्य के सभी जिलों में संचालित किये जायेंगे।

92. राजस्थान राज्य बीज निगम एवं राष्ट्रीय बीज निगम के बीज उत्पादक कृषकों को online payment उसके बैंक खाते में सीधे किये जायेगा तथा इसे भामाशाह प्लेट फार्म से जोड़ा जायेगा।

93. श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अंतर्गत 120 सीटों का B.Sc.(कृषि) व MBA(agri-business) का स्ववित्त पोषित integrated programme चालू किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा एकबारीय ही 2 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

94. राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम द्वारा 2 लाख 32 हजार मैट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदामों का निर्माण 162 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

पशुपालन :

95. वर्तमान में प्रदेश की लगभग 5 हजार 500 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय की कोई इकाई क्रियाशील नही हैं। गत वर्ष हमनें पशु चिकित्सा सुविधाओं से वंचित 600 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उप–केन्द्र खोले जाने की घोषणा की थी। अब प्रदेश की ऐसी 1 हजार ग्राम पंचायतों में पशु संख्या को ध्यान में रखते हुए नवीन पशु चिकित्सा उप–केन्द्र खोले जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इन उप–केन्द्रों के भवन निर्माण पर 80 करोड़ तथा इनके संचालन पर लगभग 20 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का व्यय होगा।

96. प्रदेश में पशुपालकों को पशुबीमा का लाभ पहुँचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 से सभी जिलों में दूध देने वाले, भार ढोने वाले एवं अन्य चयनित पशुओं के लिए राजकीय अनुदानित **'भामाशाह पशु बीमा योजना'** प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस योजना के तहत बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पशुपालकों को पशु–बीमा की प्रीमियम राशि का 70 प्रतिशत अनुदान एवं अन्य वर्ग के पशुपालकों को 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। इस योजना को भामाशाह योजना के साथ integrate किया जायेगा।

97. मैंने वर्ष 2015–16 में 1 हजार पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवनों में मरम्मत व पुताई का कार्य करवाने की घोषणा की थी। वर्ष 2016–17 में 1 हजार और चिकित्सा संस्थाओं में मरम्मत व पुताई हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

98. संयुक्त निदेशक पशु पालन विभाग एवं बहु–उद्देश्यीय पशु चिकित्सालय, दौसा का भवन काफी जर्जर अवस्था में है। वर्ष 2016–17

में 5 करोड़ 76 लाख रुपये की लागत से नवीन भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

99. वर्तमान में पशु चिकित्सा में PG एवं Ph.D. में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 5 हजार रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा करती हूँ। इस पर 1 करोड़ 65 लाख रुपये का अतिरिक्त भार आयेगा।

100. कृषि एवं उद्यानिकी संबद्ध सेवाओं जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी आदि क्षेत्र के लिए वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में 4 हजार 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है, जो वर्ष 2015–16 के संशोधित अनुमान से 47.55 प्रतिशत अधिक है।

जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र :

101. सिंचाई के क्षेत्र में लंबे समय से चल रही परियोजनाओं को पूर्ण करने पर हमारा विशेष emphasis रहा है। गंग केनाल के आधुनिकीकरण का कार्य वर्ष 2016–17 में पूर्ण कर लिया जायेगा। बारां जिले में प्रगतिरत लासी परियोजना का कार्य जून 2016 में पूर्ण कर आगामी वर्ष में जल भराव किया जायेगा। साथ ही पिड़ावा तहसील झालावाड़ में निर्माणाधीन गागरीन सिंचाई परियोजना के बाँध का कार्य पूर्ण कर इसमें भी जल भराव जून 2016 से प्रारंभ कर दिया जायेगा। आकोदरा–देवास द्वितीय का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। गंग नहर, सिद्धमुख–नोहर, अमरसिंह sub-branch, भाखड़ा नहर, चंबल तथा बीसलपुर परियोजनाओं में लगभग 73 हजार हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में खाळों का निर्माण किया गया है। इंदिरा गाँधी नहर परियोजना में निर्माण, मरम्मत, रख–रखाव एवं संचालन आदि कार्य हेतु 377 करोड़

रुपये का व्यय किया जा चुका है तथा इस परियोजना में 6 हजार से भी अधिक हेक्टेयर का नया सिंचित क्षेत्र खोला गया है। सिंचाई क्षेत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए आगामी वर्ष में जल संसाधन, इंदिरागांधी नहर एवं CAD विभाग के लिए वर्ष 2016–17 में 4 हजार 47 करोड़ 44 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। जो वर्ष 2015–16 के संशोधित अनुमान से 27.81 प्रतिशत अधिक है। साथ ही, आगामी वर्षों में हम निम्न महत्वाकांक्षी परियोजनाएं प्रारंभ करेंगेः–

– राज्य में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के rehabilitation के कार्यों, water user associations की क्षमतावर्धन एवं सिंचित कृषि विविधता हेतु आगामी 8 वर्षों के लिए Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project चलाया जायेगा। इस योजना के तहत 24 जिलों की 63 मध्यम एवं 370 लघु परियोजनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य किया जायेगा तथा 4 लाख 66 हजार हेक्टेयर से भी अधिक सिंचित क्षेत्र को इससे लाभान्वित किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 3 हजार 461 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

– रबि, ब्यास, सतलज एवं घग्घर नदियों के बाढ़ के रूप में बहने वाले अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए इंदिरा गाँधी नहर प्रणाली का re-structuring कर Rajasthan Water Sector Re-structuring Project for Desert Area चलाया जायेगा। परियोजना अन्तर्गत मुख्य रूप से इंदिरा गाँधी नहर फीडर का हरियाणा व राजस्थान में एवं इंदिरा गाँधी मुख्य नहर एवं शाखाओं की re-lining प्रस्तावित है। तीन हजार 264 करोड़ रुपये की इस परियोजना से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर,

जोधपुर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले लाभान्वित होंगे तथा 1 लाख 81 हजार 618 हेक्टेयर CCA के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध हो सकेगा।

– बारां, झालावाड़ एवं कोटा जिले के किसानों का वर्षों पुराना परवन सिंचाई योजना का सपना अब सच होगा। इस योजना से झालावाड़, बारां एवं कोटा जिले के कुल 313 गाँवों की 1 लाख 31 हजार हेक्टेयर भूमि लाभान्वित होगी तथा इन जिलों के 820 गाँव पेयजल से लाभान्वित होंगे। इस परियोजना की अनुमानित लागत 4 हजार 824 करोड़ रुपये है। इस योजना की क्रियान्विति हेतु बहुराष्ट्रीय या बाह्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वित्त पोषण की व्यवस्था की जायेगी। परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित भूमि की अवाप्ति की प्रक्रिया प्रगतिरत है। आगामी वर्ष में इस हेतु 700 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

– आगामी वर्ष में चंबल सिंचित क्षेत्र कोटा के तहत सुल्तानपुर sub-branch system, अयाना ब्रांच नहर सिस्टम, लक्ष्मीपुरा, खातोली, चरी, ईश्वरनगर, अरनेठा, चितावा, कुलिंदा, बाल्कासा distributary एवं कापरेन नहर शाखा के revamping के कार्य 213 करोड़ 53 लाख रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

– माही बाँध के बेक वाटर क्षेत्र से बांसवाडा तहसील के लोगो को 850 हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु Drip एवं फव्वारा पद्धति से अम्बापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना प्रथम का कार्य आगामी 3 वर्षो में 60 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

– भरतपुर जिले की डीग तहसील में डीग escape channel की चैन 72 से डीग कस्बे तक जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य करवाये जायेंगे।

– झालावाड़, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, जयपुर, करौली, डूंगरपुर, राजसमन्द एवं चित्तौड़गढ़ जिले में 11 एनिकटों का निर्माण कार्य 25 करोड़ 74 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

– झालावाड़ जिले की चवंली सिंचाई परियोजना की नहरों के जीर्णोद्धार का कार्य 9 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से कराया जायेगा।

– पार्वती, कालीसिंध नदियों के अधिशेष जल का उपयोग कर बारां, कोटा, बूँदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा करौली एंव धौलपुर को पेयजल एवं सिंचाई सुविधा का लाभ दिलाने के लिए, मैं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाये जाने की घोषणा करती हूँ।

– साबरमती बेसिन का अधिशेष जल जो कि राज्य के बाहर व्यर्थ बह जाता है, का उपयोग कर राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के जवाई बाँध में ले जाकर उस क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनायी जायेगी।

– बांसवाड़ा जिले की तहसील कुशलगढ़, सज्जनगढ़, गांगड़ तलाई, बागीदोरा तथा बांसवाड़ा के 26 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में नयी सिंचाई क्षमता का सृजन कराये जाने हेतु माही के सेडल डैम से सिंचाई प्रणाली विकसित करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनवायी जायेगी।

12 हजार करोड़ रुपयों से भी अधिक की लागत की इन परियोजनाओं से आगामी 7–8 सालों में राज्य में सिंचाई के

परिदृश्य में अभूतपूर्व बदलाव आयेगा। मैं यहाँ दौहराना चाहूँगी कि किसानों के हित का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

102. राज्य में उपलब्ध जल संसाधन, वर्षा जल व नदियों के जल के आकड़ों को राज्य स्तर पर एकत्रित करने एवं राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर आकड़ों का आदान प्रदान करने व सभी नागरिकों को internet के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में hydrological सूचना तंत्र विकसित किया जायेगा। इस परियोजना की लागत 128 करोड़ आयेगी तथा इसे आगामी 8 वर्षों में पूर्ण किया जायेगा।

सहकारिता :

103. वर्ष 2016–17 में किसानों को फसली ऋण योजना के तहत सहकारी बैंकों के माध्यम से फसली ऋण उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंक को अनुदान राशि उपलब्ध करवायी जायेगी। रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा निर्धारित नार्मस की पूर्ति हेतु राज्य के तीन सहकारी बैंक–चूरू, कोटा एवं टोंक को 6 करोड 91 लाख रुपये राज्य सरकार की अंश पूंजी के रूप में तथा 36 करोड 98 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिया जाना प्रस्तावित हैं, जिससे की इन बैंको द्वारा निर्धारित Capital Risk Assets Ratio (CRAR) संधारित की जा सके। तीन बैंकों की CRAR एवं फसली ऋण योजना हेतु कुल 370 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही सहकारी बैंकों को compensatory interest अनुदान हेतु 150 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।

104. वर्ष 2015–16 के बजट में मैंने राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के माध्यम से दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत

ब्याज अनुदान दिये जाने का उल्लेख किया था। अब मैं घोषणा करती हूँ कि केन्द्रीय सहकारी बैंको द्वारा संचालित सहकार किसान कल्याण योजना के तहत 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आगामी वर्ष में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

105. नवगठित 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं लैम्पस में 100 मैट्रिक टन क्षमता का गोदाम एवं कार्यालय भवन निर्माण हेतु प्रति समिति 10 लाख रुपये की दर से 10 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।

मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास

106. पारिवारिक मुखिया, जिस पर परिवार आर्थिक रूप से निर्भर रहता है, की अचानक मृत्यु होने पर, आश्रित लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे परिवारों को संबल प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' एवं 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' लागू की गयी है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि प्रदेश के 50 लाख से भी अधिक बैंक खातेदार इन योजनाओं में सम्मिलित हुए हैं। इन योजनाओं के साथ राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही flagship भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं नवीन प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना–नवीन पशु बीमा योजना की क्रियान्विति से राज्य के विभिन्न वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तृत तंत्र विकसित होगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता :

107. प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वच्छकार, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के मैस

भत्ते को बढ़ाकर 2 हजार रुपये प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी किये जाने की घोषणा करती हूँ।

108. निजी सहभागिता योजनान्तर्गत स्वीकृत 41 छात्रावासों, जिनकी स्वीकृत क्षमता 1 हजार 975 है, को वर्तमान में देय मैस भत्ता अनुदान की राशि को चार गुना बढ़ाये जाने की घोषणा करती हूँ, जिस पर लगभग 3 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

109. वर्ष 2007–08 में मैने विधवा पेंशन की पात्र महिला को उनके पुनर्विवाह हेतु योजना लागू की थी। वर्तमान में इस योजना के तहत उपहार स्वरूप 15 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान है। अब मैं इस राशि को बढाकर 30 हजार रुपये किये जाने की घोषणा करती हूँ।

110. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजकीय भवनों में संचालित 19 आवासीय विद्यालयों, जिनकी आवास क्षमता 1 हजार 500 है, में आवासरत विद्यार्थियो को शीत काल में गरम पानी की आवश्यकता को देखते हुए सौलर वाटर हीटर सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। जिस पर कुल 1 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।

111. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दौसा में 2, शाहपुरा, जमवारामगढ़, जगतपुरा–जयपुर, खंडार–सवाईमाधोपुर एवं नोहर–हनुमानगढ़ में किराये के भवन में संचालित अनुसूचित जाति हेतु नवीन छात्रावास भवनों का निर्माण 15 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से करवाये जाने की मैं घोषणा करती हूँ।

112. समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों के वर्तमान infrastructure का अध्ययन करने पर पाया गया कि

82 छात्रावासों में कोई boundry wall नहीं है, 41 में शौचालय नहीं है, 27 में स्नानगृह नहीं है एवं 17 छात्रावास ऐसे हैं जहाँ boundry wall को उँची करने की आवश्यकता है। इस infrastructure gaps की पूर्ति 7 करोड़ 98 लाख रुपये की लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है।

113. जैताशर धाम, सिणधरी जिला बाड़मेर में पशुपालकों के बालक–बालिकाओं हेतु 280 आवासीय क्षमता के आवासीय विद्यालय स्थापित किये जाने की मैं घोषणा करती हूँ। जिसके निर्माण पर 12 करोड़ 91 लाख रुपये का व्यय होगा।

114. ग्राम पंचायत जैसिंधर स्टेशन जिला बाड़मेर में 280–280 बालक–बालिकाओं के लिए एक–एक आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन है। इनमें से एक आवासीय विद्यालय अनुसूचित जाति के बालकों के लिए तथा एक आवासीय विद्यालय सभी वर्ग की बालिकाओं के लिए संचालित किया जायेगा। मैं घोषणा करती हूँ कि इन विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 2016–17 से किया जायेगा, जिस पर लगभग 4 करोड़ 44 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है।

115. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में आवासरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों को अनुप्रति योजनान्तर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं–IIT, IIM, Law, राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज एवं राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान में प्रवेश लेने हेतु जयपुर एवं कोटा शहर की चयनित संस्थाओं में प्रत्येक श्रेणी के 100–100 विद्यार्थी कुल 1 हजार विद्यार्थियों को coaching सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

116. देवनारायण योजना के तहत वर्ष 2015–16 में एक आवासीय विद्यालय, मकसूदनपुरा–सवाईमाधोपुर तथा एक छात्रावास बेगू–चित्तौड़गढ़ में स्वीकृत किया गया है। आगामी तीन वर्षों में 6 नवीन आवासीय विद्यालय तथा 5 छात्रावास और स्वीकृत किये जायेंगे।

117. विशेष योग्यजनों की आवश्यकताओं के प्रति राज्य सरकार संवेदनशील है। इस हेतु निम्न प्रावधान किये जाने प्रस्तावित हैंः–

- ''मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना'' के तहत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली ऋण अनुदान राशि हेतु 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित हैं।
- विशेषयोग्यजनों की सुविधार्थ राजकीय भवनों में रैम्प्स तथा लिफ्ट निर्माण के लिए 4 करोड़ 13 लाख रुपये।
- विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए वर्तमान में 99 अधिकृत संस्थाओं द्वारा संचालित विशेष विद्यालय हेतु अनुदान के लिए 6 करोड़ 66 लाख रुपये।
- सभी सिनेमाघरों, सिनेमा थियेटर्स एवं सिने मल्टीप्लेक्स में कुल सीटों का कम से कम तीन प्रतिशत स्थान विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षित करने के प्रावधान किये जायेंगे।

118. अनाथ बच्चों के पालन–पोषण, शिक्षा आदि के लिए संचालित पालनहार योजना के तहत 1 लाख 50 हजार से अधिक बच्चों को लाभान्वित करने के लिए आगामी वर्ष में 171 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना को भी भामाशाह योजना से जोड़ा जायेगा ।

119. कामकाजी महिलाओं के लिए राजकीय छात्रावासों का संचालन गैर–सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराये जाने की मैं घोषणा

करती हूँ। इन संस्थाओं का निविदा द्वारा चयन होने पर राज्य सरकार ऐसे छात्रावास भवनों की मरम्मत के लिए एकबारीय सहायता उपलब्ध करायेगी।

120. वर्तमान में 20 जिलों में किशोर एवं सम्प्रेषण गृहों के भवन निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2016–17 में सवाईमाधोपुर, पाली एवं टोंक में नवीन किशोर एवं सम्प्रेषण गृहों का निर्माण करवाया जायेगा। इस हेतु आगामी वर्ष में 5 करोड़ 7 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

महिला एवं बाल विकास :

121. राजकीय भवनों में संचालित अधिकांश आंगनबाड़ी केन्द्रों के रख–रखाव व सुदृढ़ीकरण का कार्य आगामी तीन वर्षों में 75 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

122. राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 400 रुपये प्रतिमाह, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 300 रुपये प्रतिमाह, आंगनबाड़ी सहायिका, साथिन एवं आशा सहयोगिनियों का मानदेय 250 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की मैं घोषणा करती हूँ। बढ़ा हुआ मानदेय जून, 2016 से देय होगा। इससे लगभग 1 लाख 50 हजार से भी अधिक मानदेय कर्मी लाभान्वित होंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए work performance आधारित प्रोत्साहन हेतु पृथक से योजना बनाई जायेगी।

123. राज्य में बालिका संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित एवं पुरस्कृत करने हेतु '**गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना**' प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित व्यक्ति को 25 हजार रुपये की नकद राशि पुरस्कार के रूप में दी जायेगी।

124. बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर **'मुख्यमंत्री राजश्री योजना'** लागू करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस योजना के तहत 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका के जन्म पर एवं उसकी प्रथम वर्ष गांठ पर क्रमशः 2 हजार 500 रुपये एवं 2 हजार 500 रुपये एवं राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4 हजार रुपये दिये जायेंगे। योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाली बालिकाओं द्वारा निरंतर पठन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एवं बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 और 10 में प्रवेश करने पर क्रमशः 5 हजार रुपये एवं 11 हजार रुपये दिये जायेंगे। योजना के तहत राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को 25 हजार रुपये दिये जायेंगे। इस योजना को भामाशाह योजना से जोड़ा जायेगा। योजना के दिशा निर्देश पृथक से प्रसारित किये जायेंगे।

125. कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल के लिए crèche की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा। इस हेतु विभिन्न जिलों में उपलब्ध रिक्त सरकारी भवनों का उपयोग करते हुए स्वयंसेवी संगठनो एवं निजी जनसहभागिता के माध्यम से शिशुपालना गृह संचालन हेतु पृथक से कार्ययोजना बनाई जायेगी।

126. प्रदेश में चलाई जा रही सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत वर्तमान में हर विवाह पर वधु को 10 हजार रुपये एवं आयोजन करने वाली संस्था को 2 हजार पाँच सौ रुपये देय है। इस राशि को बढाकर क्रमशः 15 हजार एवं 3 हजार रुपये किये जाने की मैं घोषणा करती हूँ।

जनजाति विकास :

127. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के 30 आश्रम छात्रावासों का 21 करोड़ रुपये की लागत से विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। इस विस्तार से प्रतापगढ़ के 6, उदयपुर के 8, बांसवाड़ा के 7 एवं डूंगरपुर के 9 छात्रावासों में कुल 750 सीटों की वृद्धि होगी।

128. उदयपुर, डूँगरपुर तथा प्रतापगढ़ में एक–एक राजकीय मॉडल आवासीय विद्यालय की क्षमता 210 से बढ़ाकर 350 की जायेगी। इस हेतु इन विद्यालयों में 10 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से अतिरिक्त निर्माण करवाया जायेगा।

129. वर्तमान में राज्य में 1 हजार 439 माँ–बाड़ी केन्दों में 6 से 12 वर्ष तक के विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ पौष्टिक आहार एवं स्वच्छता की जानकारी उपलब्ध करवायी जाती है। इन केन्द्रों की सफलता को देखते हुए उनके उन्नयन हेतु निम्न कदम उठाये जायेंगेः–

– वर्ष 2016–17 में 100 नवीन माँ–बाड़ी केन्द्र 3 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से खोले जायेंगे।
– वर्तमान में सहरिया क्षेत्र में संचालित 179 तथा उपयोजना क्षेत्र में संचालित 329 माँ–बाड़ी केन्द्रों में kitchen sheds नहीं बने हैं। वर्ष 2016–17 में इन केन्द्रो पर kitchen sheds का निर्माण 3 करोड़ 5 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

130. राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों हेतु बांसवाड़ा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, स्नातक महाविद्यालय, कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा में एक–एक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में

दो छात्रावास भवन बने हुए हैं, परंतु उनका उचित उपयोग नहीं हो रहा है। इन छात्रावासों का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आगामी वर्ष से कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 1 करोड़ 20 लाख रुपये का व्यय होगा।

131. जनजाति उपयोजना क्षेत्र की डेयरी सोसायटीज के दूध में fat की सही गणना करते हुए उत्पादन का उचित मूल्य मिले, इस हेतु 200 automated milk collection unit उपलब्ध करवायी जायेंगी, जिस पर 2 करोड़ 38 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

132. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) द्वारा जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आगामी एक वर्ष में उद्योग, कृषि, पशुपालन एवं उद्यानिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े कौशल एवं आजीविका प्रशिक्षण हेतु 20 नये कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

133. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के 62 छात्रावास ऐसे हैं जहाँ मुख्य सड़क तक पहुँचने के लिए पक्का रास्ता नहीं है। अतः इन छात्रावासों हेतु approach road बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

134. उदयपुर संभाग के जिलों में कई प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थान हैं। इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से Tribal Tourism Circuit विकसित किया जायेगा।

अल्पसंख्यक :

135. वर्ष 2016–17 में अल्पसंख्यक बाहुल्य चयनित ब्लॉक्स में 53 करोड़ 79 लाख रुपये की लागत से infrastructure development के निम्न कार्य करवाये जायेंगेः–

- 95 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 34 लाईब्रेरी रूम, 40 साईंस लैब तथा 10 कम्प्यूटर रूम का निर्माण प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करवाया जायेगा।
- राजकीय महाविद्यालय गोविन्दगढ़–अलवर में भवन का विस्तार कार्य।
- फतेहपुरकलां–भरतपुर एवं सम–जैसलमेर में 2 बालक छात्रावास तथा सहजपुर, बंबोरा–अलवर, फतेहपुरकलां–भरतपुर, सम–जैसलमेर तथा यूनानी मेडिकल कॉलेज, टोंक में 5 बालिका छात्रावासों का निर्माण।
- मकराना–नागौर, गंगापुरसिटी–सवाईमाधोपुर, सम–जैसलमेर में तकनीकी शिक्षा हेतु ITI भवन का निर्माण।

136. मदरसों में शिक्षा सहयोगियों को मानदेय, शिक्षा सामग्री तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि के लिए 66 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

137. Digital Rajasthan के सपने को आगे बढ़ाते हुए निम्न कदम उठाये जायेंगेः–

- अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लाकों एवं कस्बों में कुल 10 हजार 400 विद्यार्थियों को cyber ग्राम योजनान्तर्गत digital साक्षर करने का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

– मदरसा बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों को ई–शिक्षा प्रदान करने के लिए मदरसा शिक्षा सहयोगियों को Rajasthan Skill and Livelihoods Development Corporation (RSLDC) के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा।

खेल एवं युवा मामले :

138. सवाईमानसिंह स्टेडियम, जयपुर में खिलाड़ियों के ठहरने की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण बहुमंजिलीय आधुनिक खेल भवन का निर्माण 10 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इस खेल भवन के निर्माण से लगभग 500 खिलाड़ियों के ठहरने की उच्च स्तरीय व्यवस्था की जा सकेगी।

139. प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय वार्षिक खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित किये जाने की मैं घोषणा करती हूँ। राज्य स्तरीय खेलों में प्रदेश के सभी जिलों की भागीदारी होगी। यह प्रतियोगिता 14 खेलों के लिए जयपुर में आयोजित की जायेगी। इस हेतु 3 करोड़ 34 लाख रुपये का व्यय किया जायेगा।

140. राज्य स्तरीय खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के श्रेष्ठ खिलाड़ियों का '**खेल प्रतिभा खोज योजना**' के अनुसार वैज्ञानिक परीक्षण कर 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के दसवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा। साथ ही इन खिलाड़ियों को एक वर्ष के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की जायेगी। इस हेतु 3 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

141. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियो को, चयनित

विभागों यथा गृह, खेल, शिक्षा, पर्यटन आदि में उपयुक्त स्तर पर out of turn सीधे आवेदन के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में नीति लाये जाने की, मैं घोषणा करती हूँ।

142. पंचायत समिति बापिनी जिला जोधपुर, खींवसर जिला नागौर, सुन्हैल जिला झालावाड़, ग्राम भांकरवास जिला पाली एवं सीसवाली जिला बारां में indoor hall का निर्माण करवाया जायेगा। इस हेतु आगामी वर्ष में 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

143. राज्य के विभिन्न स्टेडियमों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु आगामी वर्ष में 17 करोड़ 41 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

144. राज्य में उच्चस्तरीय खेल सुविधाऐं विकसित करने के लिए निजी जनसहभागिता के आधार पर खेल अकादमियों की स्थापना हेतु योजना बनाई जायेगी।

145. गत् दो वर्षों में राज्य में 1 लाख 60 हजार से अधिक बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए शिक्षा, गृह एवं महिला एवं बाल अधिकारिता विभागों के साथ समन्वय कर पूरे राज्य में आगामी 3 वर्ष में प्रतिवर्ष कक्षा 6 से 12 तक की 1 लाख 50 हजार बालिकाओं के लिए '**मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना**' चलायी जायेगी।

146. कबड्डी एवं हॉकी खेलों में राज्यस्तर की टीम को बेहतर कोचिंग एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु मैं घोषणा करती हूँ कि इन खेलों में से एक एक राज्यस्तरीय टीम को RIICO एवं RSMM Ltd. द्वारा sponsor किया जायेगा।

शिक्षा :

147. राज्य में राजकीय स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा आदर्श विद्यालय, स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल्स, शारदे छात्रावास, शाला दर्पण, लेपटाप वितरण, साईकिल वितरण, ट्रांसपोर्ट वाउचर जैसी विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विद्यालयों के एकीकरण के कारण राज्य में शिक्षकों की अनुपस्थिति में भारी कमी आयी है। इस क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ करना सरकार की प्राथमिकता है। अतः इस वर्ष स्कूली शिक्षा के लिए मैं 23 हजार 177 करोड़ 15 लाख रुपये का प्रावधान कर रही हूँ, जो कि वर्ष 2015–16 के संशोधित अनुमानों से 14.47 प्रतिशत अधिक है।

148. वर्ष 2015–16 में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 61 ब्लाक्स में नये स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों का निर्माण प्रारंभ किया गया है। इन मॉडल स्कूलों का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक वैकल्पिक भवन की व्यवस्था कर सत्र 2016–17 में कक्षा 6 से 8 का संचालन प्रारंभ किया जायेगा।

149. राज्य में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लाक्स में से 143 ब्लाक्स में शारदे बालिका छात्रावासों का निर्माण पूर्ण कर संचालन किया जा रहा है एवं मार्च 2016 तक 6 और छात्रावासों का निर्माण पूर्ण किया जायेगा। शेष निर्माणाधीन 37 शारदे बालिका छात्रावासों का निर्माण पूर्ण करवा कर वर्ष 2016–17 में समस्त 186 ब्लॉक्स में शारदे बालिका छात्रावास प्रारंभ किये जायेंगे।

150. शारदे बालिका छात्रावासों में छात्राओं की क्षमता प्रति छात्रावास 100 का मानक निर्धारित है, परंतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध

करायी गयी राशि से समस्त छात्रावासों में यह क्षमता विकसित नहीं हो सकी है। अतः 47 करोड़ 88 लाख रुपये की राशि का व्यय कर इन छात्रावासों की निर्धारित क्षमता के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जायेगा।

151. वर्तमान में 290 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है। इन विद्यालयों की सफलता को देखते हुए आगामी वर्ष में 380 अतिरिक्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रारंभ की जायेगी। आगामी वर्ष में व्यावसायिक शिक्षा हेतु 58 करोड़ 65 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

152. राज्य में 770 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आगामी वर्ष में virtual class room स्थापित किये जायेंगे।

153. प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु चलाये जा रहे माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न कार्यों के लिए 1 हजार 750 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया जा रहा है।

154. राज्य में 445 विद्यालयों में 180 करोड़ 13 लाख रुपये की लागत से 1 हजार 667 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, समेकित विज्ञान प्रयोगशाला, आर्ट एवं क्राफ्ट रूम, पेयजल सुविधा एवं शौचालय आदि का निर्माण करवाया जायेगा।

155. राज्य में 108 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवन जर्जर अवस्था में हैं। प्रथम चरण में आगामी वर्ष में ऐसे 60 भवनों का निर्माण करवाया जायेगा, इस हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

156. राज्य में कुल 13 हजार 401 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 12 हजार 773 में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध हैं। मैं घोषणा करती हूँ कि शेष 628 विद्यालयों में 13 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत कनेक्शन एवं फिटिंग का कार्य आगामी वर्ष में कराया जायेगा। इनके मासिक विद्युत बिल का भुगतान विद्यालय के फण्ड से किया जायेगा।

157. वर्ष 2016–17 में आठवीं, दसवीं एवं बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की मेरिट के आधार पर चयनित मेधावी विद्यार्थियों को Laptop वितरण करने हेतु 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

158. वर्तमान में राज्य के विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को साईकिल वितरण योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस वर्ष इस योजना के तहत 2 लाख 77 हजार बालिकाओं को साईकिल वितरित की गयी। इस योजना के लिए वर्ष 2016–17 में 85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

159. उच्च माध्यमिक विद्यालय में वांछित संकाय अथवा विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर से अधिक दूरी के राजकीय विद्यालय में अध्ययन हेतु जाने पर बालिकाओं को transport voucher का लाभ दिया जायेगा।

160. माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में आधारभूत सरंचना के निर्माण एवं विकास हेतु **'मुख्यमंत्री जन–सहभागिता विद्यालय विकास योजना'** लागू की जायेगी, जिसमें 40 प्रतिशत राशि जनसहयोग से प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि उपलब्ध करवायी जायेगी। आगामी वर्ष इस हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित हैं।

161. राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि संकाय प्रारंभ करने की माँगों का अध्ययन करने पर पाया कि कक्षा 10 में 100 से अधिक नामांकन वाले ऐसे 152 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें केवल कला संकाय ही है। मैं घोषणा करती हूँ कि आगामी वर्ष से बांसवाड़ा में 42, डूंगरपुर में 23, जयपुर में 13, उदयपुर में 11, दौसा में 10, झालावाड़ में 6, धौलपुर में 5, बाड़मेर, बूंदी, पाली में 4–4, अलवर, जोधपुर में 3–3, सीकर, भीलवाड़ा, कोटा, सिरोही, टोंक, अजमेर, बीकानेर, जालौर में 2–2, झुंझुनूं, करौली, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, बारां में 1–1 ऐसे विद्यालयों में विज्ञान या कृषि या वाणिज्य संकाय प्रारंभ की जायेंगी।

162. वर्ष 2016–17 से कक्षा 5 के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन हेतु जिला स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

163. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को अध्ययन की सुविधा हेतु संचालित राजकीय मूक बधिर उच्च प्राथमिक विद्यालय, लोधा, बांसवाड़ा तथा राजकीय मूक बधिर उच्च प्राथमिक विद्यालय, बीकानेर तथा राजकीय उच्च प्राथमिक अंध विद्यालय, बीकानेर को आगामी वर्ष में माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की मैं घोषणा करती हूँ।

164. संस्कृत भाषा के पठन–पाठन, पाठ्यक्रम तथा अनुसंधान हेतु राजकीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, महापुरा जयपुर को राज्यस्तरीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा :

165. वर्ष 2015–16 के बजट में state higher education development plan तैयार कर 8 वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चरणबद्ध

रूप से विकास किये जाने की घोषणा की गयी थी। इस योजना के तहत आगामी वर्ष में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को 173 करोड़ रुपये infrastructure grant आदि हेतु दिये जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही महाविद्यालयों के भवनों के नवीन निर्माण के लिए 104 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

166. स्थानीय लोगों की माँग एवं क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए मैं घोषणा करती हूँ कि खाजूवाला–बीकानेर, करणपुर–श्रीगंगानगर, छबड़ा–बारां, रावतभाटा–चित्तौड़गढ़, राजाखेड़ा–धौलपुर, पिड़ावा–झालावाड़, खींवसर–नागौर एवं छोटी सादड़ी–प्रतापगढ़ में नवीन राजकीय co-ed महाविद्यालय खोले जायेंगे। साथ ही बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है।

167. स्थानीय छात्र–छात्राओं की अपेक्षा के अनुरूप मैं घोषणा करती हूँ कि स्नातक स्तर पर राजकीय महिला महाविद्यालय बालोतरा–बाड़मेर एवं राजकीय महाविद्यालय राजसमंद में भूगोल, राजकीय महिला महाविद्यालय पीपाड़सिटी–जोधपुर, सवाईमाधोपुर और नीमकाथाना में गृह विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर एवं राजकीय महिला महाविद्यालय खण्डेला में भूगर्भ शास्त्र, एम.एल.वी. राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा एवं बिलाड़ा–जोधपुर में संस्कृत, कपासन–चित्तौड़गढ़ में वाणिज्य, चूरू में लोक प्रशासन, चिमनपुरा–जयपुर में अर्थशास्त्र, तथा सीकर में physics विषय प्रारंभ किये जायेंगे।

168. स्नातकोत्तर स्तर पर राजकीय महिला महाविद्यालय–पाली, दौसा में Accountancy and Business Statistic, अजमेर में चित्रकला, रतनगढ़–चूरू, सार्दुलशहर–श्रीगंगानगर में गृह विज्ञान, राजकीय

महाविद्यालय–निबांहेड़ा में इतिहास, दौसा में समाज शास्त्र, कालाडेरा–जयपुर, झुंझुनूं में राजनीति विज्ञान, गंगापुरसिटी–सवाईमाधोपुर में Accountancy and Business Statistic, आबूरोड़–सिरोही में अंग्रेजी साहित्य विषय प्रारंभ किये जायेंगे।

169. अजमेर में सफलतापूर्वक चलाये जा रहे entrepreneurship and small business management centre की तर्ज पर कोटा विश्वविद्यालय एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में भी ऐसे centre चलाये जाने प्रस्तावित है।

170. प्रदेश में पायलट बेसिस पर सीकर, झालावाड़, जयपुर, बारां एवं धौलपुर के महाविद्यालयों में wi-fi की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की मैं घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष में इस हेतु एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

171. प्रदेश के हर नागरिक को उचित दर पर बेहतर आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा उप–स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर मेडिकल कालेजों तक 17 हजार से भी अधिक स्वास्थ्य संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। आगामी वर्ष में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए 8 हजार 742 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया जा रहा है।

172. परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर हर परिवार चाहता है कि उसका अच्छे से अच्छा ईलाज करवाया जाये, परंतु अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती होने पर, पड़ने वाले भारी वित्तीय भार को सहन करना हर परिवार की क्षमता में नहीं है। मात्र दवा का खर्च तो वहन कर ले, परंतु उपचार के लिए अधिकतर निर्धन परिवारों को कर्ज

लेना पड़ता है, जिससे वे debt trap में फंस जाते हैं। हमारी सरकार ने generic दवाओं से आगे बढ़ते हुए प्रदेश के लगभग 67 प्रतिशत परिवारों के लिए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना दिसम्बर 2015 में लागू की है। इस योजना के तहत विभिन्न बीमारियों के लिए 1 हजार 715 पैकेज अनुमत किये गये हैं तथा इससे 432 राजकीय चिकित्सालय तथा 423 निजी चिकित्सालयों को जोड़ा गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इतने अल्प समय में 43 हजार से अधिक परिवारों ने इसका लाभ उठाया है।

173. राज्य में आमजन की माँग एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं विस्तार के दृष्टिगत निम्नलिखित स्वास्थ्य केन्द्र क्रमोन्नत किये जायेंगेः–

– उप–स्वास्थ्य केन्द्र, खण्डेला एवं राजपुरा जिला बारां को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में।

– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नाहरगढ़ जिला बारां, पारोली जिला भीलवाड़ा, पूगल जिला बीकानेर, खटकड़ जिला बूंदी, श्रीमहावीर जी जिला करौली, भगवतगढ़ जिला सवाईमाधोपुर, खेजरोली जिला जयपुर एवं आहु जिला जोधपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में।

– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महुआ जिला दौसा को 30 से 50 शैय्याओं में।

– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आसीन्द जिला भीलवाड़ा, राजकीय चिकित्सालय, सादड़ी जिला पाली एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवली जिला टोंक को 50 से 75 शैय्याओं में।

– बयाना चिकित्सालय जिला भरतपुर को 75 से 100 शैय्याओं में।

- राजकीय सामान्य चिकित्सालय, हिण्डौन जिला करौली को 100 से 125 शैय्याओं में।
- करौली चिकित्सालय को 200 से 225 शैय्याओं में।
- राजकीय बीडीएम चिकित्सालय, कोटपुतली जिला जयपुर को 200 से 250 शैय्याओं में।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चाकसू जिला जयपुर को सेटेलाईट चिकित्सालय में।

साथ ही दन्तोर जिला बीकानेर, नादनपुरा जिला धौलपुर, चेलक, सुल्ताना एवं भैंसड़ा जिला जैसलमेर में एक–एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

174. चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए चलाये जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1 हजार 716 करोड़ 12 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

175. राज्य की चिकित्सा संस्थानों में 5 करोड़ रुपये की लागत से एक सौ नयी dental chair units स्थापित की जायेंगी। वर्ष 2014–15 व 2015–16 में किये गये स्वास्थ्य परीक्षण में पाये गये बीमार बच्चों में से 20 प्रतिशत बच्चे दंत रोग से पीड़ित हैं। इनके उपचार हेतु संभागीय मुख्यालय पर एक–एक मोबाईल डेंटल वैन उपलब्ध करवायी जायेगी।

176. चिकित्सा संस्थाओं में नये beds, व्हील चेयर, patient trolley एवं गद्दे आदि उपलब्ध कराने हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही चित्तौड़गढ़, पाली एवं नागौर जिला अस्पताल को Colour Doppler Machine उपलब्ध करवायी जायेगी।

177. राज्य में विभिन्न उप–स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, औषधालय एवं अस्पताल के नव

निर्माण हेतु 31 करोड़ 10 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

178. गत् वर्ष के बजट में की गयी घोषणाओं की क्रियान्विति के क्रम में हमनें वर्ष 2015 में आरोग्य राजस्थान के तहत ग्रामीण क्षेत्र के 1 करोड़ 5 लाख परिवारों का हैल्थ सर्वे पूर्ण किया है, जिसकी online entry मार्च 2016 तक पूर्ण कर e-Health card की व्यवस्था लागू की जायेगी। साथ ही इस e-Health card के आधार पर विशेष योग्यजनों के लिए tricycle, hearing aid के वितरण एवं पोलियो सुधार सर्जरी का विशेष अभियान चलाया जायेगा। e-Health कार्ड को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जायेगा।

179. कुपोषण की रोकथाम के लिए हमनें समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ किया। यह कार्यक्रम आगामी वर्षों में भी जारी रखा जायेगा।

180. प्रदेश के ऐलोपैथी चिकित्सा के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों एवं राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों तथा चिकित्सा विशेषज्ञों के बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। ऐलोपैथी चिकित्सा की इन रिक्तियों को भरने के लिए हमारे द्वारा किये गये प्रयासों को जारी रखते हुए, सुचारू चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु इनकी सेवानिवृत्ति आयु अप्रेल 2016 से 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मैं घोषणा करती हूँ।

181. नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रदेश में संचालित 16 new born stablisation units के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार कर इनको special new born care unit में क्रमोन्नत करने के लिए 5 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

182. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जाँच हेतु वर्तमान में 6 जिलों में ही खाद्य प्रयोगशाला स्थापित है। आगामी वर्ष में बीकानेर, चूरू, जालौर, बांसवाड़ा एवं भरतपुर में 5 नवीन खाद्य प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी। प्रयोगशाला निर्माण, उपकरण एवं मानव संसाधन पर लगभग 27 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय होगा।

183. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों में पिछले कुछ वर्षो में विस्तार हुआ हैं। वर्तमान स्वास्थ्य भवन में पर्याप्त स्थान नहीं होने के कारण स्वास्थ्य भवन परिसर में नवीन बहु–मंजिला स्वास्थ्य भवन बनाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

आयुर्वेद :

184. वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में चिकित्सालय स्तर पर 30 आँचल प्रसूता केन्द्र, 24 पंचकर्म केन्द्र एवं 22 जरावस्था केन्द्र स्थापित हैं। वर्ष 2016–17 में शेष रहे तीन जिलों में आँचल प्रसूता केन्द्र, 9 जिलों में पंचकर्म केन्द्र एवं 11 जिलों में जरावस्था केन्द्र खोले जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही 6 नये योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों के निर्माण हेतु 1 करोड़ 80 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

185. राज्य में आयुर्वेद पद्धत्ति को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए चयनित आयुर्वेद की पंचकर्म के तहत कराये गये उपचार की राशि का पुनर्भरण अनुमत किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा :

186. वर्तमान में राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में MBBS की 1 हजार 400 सीटें उपलब्ध हैं। मैंने वर्ष 2014–15 के बजट

में 7 चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना किये जाने की घोषणा की थी, जिसमें 700 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होनी हैं। राज्य में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए, मैं आगामी वर्षों में चिकित्सा महाविद्यालय अजमेर, उदयपुर, कोटा में 100–100 एवं झालावाड़ में 50 अर्थात कुल 350 MBBS Seats की वृद्धि किये जाने की घोषणा करती हूँ, जिस पर लगभग 420 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

187. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में उपचार हेतु आने वाले रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। समय की माँग है कि इन महाविद्यालयों एवं उनसे संबंधित चिकित्सालयों में उपलब्ध सुविधाओं का upgradation किया जाये। अतः मैं चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबंधित चिकित्सालयों में निम्न सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूँः–

– सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में 10 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से अत्याधुनिक नवीन कैथ लैब एवं बीएस लैब–3 का निर्माण तथा swine-flu lab का upgradation
– चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर से संबद्ध चिकित्सालयों में 4 करोड़ रुपये की लागत से 4 ऑपरेशन थियेटर का modular operation theatre में परिवर्तित करना।
– रविन्द्र नाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर में 4 करोड़ रुपये की लागत से नयी cobalt मशीन स्थापित की जायेगी। साथ ही 14 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से senior resident hostel के नवीन भवन का निर्माण।
– चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर में निजी जन–सहभागिता के तहत linear accelerator एवं गामा कैमरों की स्थापना।

- जोधपुर में संक्रमक संस्था को उपकरण उपलब्ध कराने एवं संचालन हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा में 2 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से digital mamography machine ।
- चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर में 3 करोड़ रुपये की लागत से 30 नवीन आवासीय स्टॉफ क्वाटर्स का निर्माण।
- चिकित्सा महाविद्यालय, झालावाड़ में 38 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से P.G. Hostel, 24 अतिरिक्त स्टाफ क्वाटर्स का निर्माण, 3 ऑपरेशन थियेटर का modular operation theatre में परिवर्तन एवं राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय, झालावाड़ में emergency वार्ड का निर्माण करवाया जायेगा।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :

188. मैंने अपने पहले बजट भाषण में राष्ट्रीय खाद्य योजना में पात्र लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार पूरा खाद्यान्न दिलवाने की घोषणा की थी। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमनें अपना वायदा पूरा किया। अब इस योजना से अपात्र लोगों के नाम हटाकर सही लाभार्थियों को योजनानुसार पूरा लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत आगामी वर्ष में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

189. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत निजी जन–सहभागिता के माध्यम से PDS shops पर उच्च गुणवत्तायुक्त multi brand उपभोक्ता वस्तुएं उचित एवं सस्ती दर पर उपलब्ध कराने हेतु अन्नपूर्णा भंडार योजना प्रारंभ की गयी है। अब तक प्रदेश में 350 से अधिक अन्नपूर्णा भंडार खोले जा चुके हैं। आगामी वर्ष राज्य के सभी जिलों में 5 हजार ऐसे भंडार खोले जायेंगे।

कौशल राजस्थान एवं रोजगार

कौशल, श्रम एवं आई.टी.आई. :

190. हमारी सरकार ने अब तक RSLDC के माध्यम से 1 लाख 11 हजार से भी अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया है। साथ ही ITI, Polytechnic, राजकीय तकनीकी महाविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के माध्यम से लगभग 40 हजार युवाओं के campus placement किये गये हैं। गत् 26 माह में 4 लाख 74 हजार 514 नवीन EPF accounts सृजित हुए हैं, जबकि गत् सरकार के प्रथम दो वर्षों में यह आकड़ा मात्र 2 लाख 18 हजार 718 था इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश में रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि हुयी है।

191. गत् 2 वर्षों में ITIs के सुदृढ़ीकरण के लिए हमनें अनेक कदम उठाये हैं। जिसके परिणामस्वरूप सरकारी एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर 1 लाख 25 हजार से अधिक सीटों की बढ़ोतरी हुयी है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, मैं निम्न घोषणा करती हूँ:–

- राज्य में ITI के उच्चीकरण हेतु 105 ITI को पूर्व में ब्याज मुक्त ऋण दिया गया था, शेष रही 29 ITI को भी 58 करोड़ रुपये आगामी 3 वर्षो में उपलब्ध कराये जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इन ITI में निजी जन–सहभागिता के आधार पर संस्थान प्रबंधन समिति का गठन कर विकास करवाया जायेगा।
- नवीन ITI भवनों के निर्माण कार्य हेतु 155 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- राजकीय ITI नीमराना में 6 नये ट्रेड प्रारंभ किये जायेंगे, जिस पर 9 करोड़ 80 लाख रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

- कृषि, बागवानी एवं पशुपालन में रोजगार के अवसर की संभावनाओं के मद्देनजर 14 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से प्रदेश के हर जिले में Knowledge Integrated Skill Modules for Agriculture, Horticulture, Animal Husbandary Training (KISMAT) लागू की जायेगी।
- परिवर्तित पाठ्यक्रमानुसार tools and equipment उपलब्ध कराने हेतु गत् वर्ष 71 राजकीय ITI के लिए हमनें प्रावधान किया था। इस हेतु वर्ष 2016–17 में शेष 63 राजकीय ITI के लिए 31 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
- कोटा में संभागीय कार्यालय भवन का 90 लाख रुपये की लागत से निर्माण करवाया जायेगा।
- महिला ITI, भीलवाड़ा का भवन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने के कारण इसके नवीनीकरण का कार्य 2 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।
- ITI, जयपुर के work shop एवं class room का संवर्धन किया जायेगा।
- बंदियों के प्रशिक्षण हेतु जेल परिसर, बीकानेर में जेल ITI भवन का निर्माण 2 करोड़ 85 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा। साथ ही, केन्द्रीय कारागार, जयपुर में संचालित जेल ITI में एक workshop एवं कक्षा कक्ष का निर्माण करवाया जायेगा।
- तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर के कार्यालय भवन का complete renovation कार्य 2 करोड़ 2 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

192. प्रदेश में चलायी जा रही कौशल विकास परियोजना में हमनें नवाचार के नये आयाम कायम किये हैं। विभिन्न योजनाओं का

RSLDC में प्रभावी convergence कर 279 नये कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये हैं। हमारे मॉडल को न केवल भारत सरकार ने सराहा है, बल्कि 15 राज्यों के अधिकारी राजस्थान आकर इसका अध्ययन कर चुके हैं। हमनें इस वर्ष विशेष योग्यजन, जेल के कैदियों, किशोरगृह एवं बालिका गृह के युवक–युवतियों के लिए भी विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं। इन नवाचारों के कारण आज 1 हजार 10 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा Mission Skill Rajasthan देश के सबसे बड़े कौशल विकास कार्यक्रमों में शामिल है।

193. राजस्थान में युवाओं को गुणात्मक कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के सहयोग से कौशल ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना लायी जायेगी। इस योजना के तहत चयनित संस्थाओं में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं द्वारा कौशल ऋण लेने पर बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को 6 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जायेगा।

194. कौशल प्रशिक्षण, बेहतर डिजाईन तथा मार्केटिंग की सुविधा समन्वित रूप से उपलब्ध कराकर आईटीआई के माध्यम से art and craft products को व्यवस्थित रूप से market तक पहुँचाने के लिए एक विशेष नवाचार के तहत Centre of Excellence in Creative Manufacturing की स्थापना राजकीय ITI जयपुर में की जायेगी।

195. Resurgent Rajasthan के दौरान हमनें L&T, UBER, Asian Paints जैसी 11 बड़ी कम्पनियों के साथ अनुबन्ध किये हैं। इन कम्पनियों द्वारा अगले 5 वर्षों में 80 हजार से अधिक युवाओं को

विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जायेंगे।

196. महात्मा गाँधी नरेगा योजना में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले 86 हजार परिवारों के युवाओं को 354 करोड़ रुपये की लागत से कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की Livelihood in Full Employment (LIFE) योजना स्वीकृत की है। इस योजना के तहत यह देश की सबसे बड़ी स्वीकृत परियोजना है।

197. प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को apprenticeship योजना से लाभान्वित करने के लिए प्रायोगिक तौर पर एक employment exchange को dedicated apprenticeship exchange के रूप में विकसित किया जायेगा। साथ ही बेरोजगारों के ऑन–लाइन पंजीयन तथा योजनाओं के ऑन–लाइन कार्य हेतु रोजगार कार्यालयों का computerization करवाया जायेगा।

198. ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने के लिए हमनें गत दो वर्षों में ग्राम पंचायतों में विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन कर 2 लाख 45 हजार युवाओं का चयन किया है। आगामी वर्ष भी प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में युवाओं के चयन हेतु विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जायेगा।

199. माह दिसंबर 2015 में हमनें सभी जिला मुख्यालयों पर विशेष कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता शिविरों का आयोजन किया था, जिनसे लगभग 74 हजार युवा लाभान्वित हुए। इसकी सफलता को देखते हुए आगामी वर्ष से सभी जिलों में प्रतिमाह ऐसे शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

200. सेवा एवं निर्माण उद्योग में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से प्रदेश के युवाओं को लाभान्वित करने के लिए हमनें उद्योगों के साथ मिलकर ITIs में Centre of Excellence विकसित करने का कार्य प्रांरभ किया है। झालावाड़ में Caterpillar एवं बाड़मेर में Cairn के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है। हम एक नयी **'Centre of Excellence योजना'** बनाकर राजकीय ITIs में 10 और Centre of Excellence स्थापित करेंगे।

201. प्रदेश में unorganized श्रमिक कुल श्रमिक वर्ग के 90 प्रतिशत से भी अधिक हैं। इस वर्ग के अधिकारों को प्रभावी तरीके से लागू कर इनमें जागरूकता प्रदान करने के लिए राज्य के हर जिले में 8 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से आगामी दो वर्षों में facilitation and information centres की स्थापना की जायेगी।

स्थानीय स्व–शासन

शहरी विकास :

202. प्रदेश की आर्थिक प्रगति के साथ वहाँ के शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। राज्य में वर्तमान में लगभग 25 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करती है। स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास विभाग के लिए वर्ष 2016–17 में 6 हजार 642 करोड़ 24 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है, जो वर्ष 2015–16 के संशोधित अनुमान से 33.57 प्रतिशत अधिक है।

203. भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में घोषित देश के 20 शहरों में जयपुर एवं उदयपुर को smart cities के लिए चयनित किया

गया है। जयपुर एवं उदयपुर शहरों को smart cities के रूप में विकसित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवायी जायेगी। आगामी वर्ष में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित हैं।

204. प्रदेश के 37 शहर यथा जोबनेर, चौमूं, सांभर–फुलेरा जिला जयपुर, बांदीकुई जिला दौसा, डीग, कामां जिला भरतपुर, खेतड़ी, मंडावा, नवलगढ़ जिला झुंझुनूं, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, सरदार शहर, रतनगढ़ जिला चूरू, आबूरोड जिला सिरोही, बाड़ी जिला धौलपुर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़, बालोतरा जिला पाली, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर, कुचामन, लाडनूं, मकराना, डीडवाना जिला नागौर, श्रीडूंगरगढ, नोखा जिला बीकानेर, राजगढ़ जिला अलवर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर एवं सिरोही, प्रतापगढ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, करौली, राजसमन्द, दौसा में जल वितरण, सिवरेज, ड्रेनेज आदि आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना के चतुर्थ चरण में शामिल किये गये हैं। इस योजना का क्रियान्वयन 4 हजार 200 करोड़ रुपये की लागत से किया जायेगा।

205. बांसवाड़ा, फतेहपुर शेखावटी, श्रीगंगानगर, नाथद्वारा, बालोतरा, डीडवाना एवं मकराना शहरों के लिए संचालित सीवरेज परियोजना को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2016–17 में 73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

206. इस वर्ष जयपुर के चयनित पर्यटन स्थलों, मेट्रो स्टेशन एवं अस्पतालों में wi-fi hot spot सुविधा, video surveillance एवं सूचना कियोस्कों को स्थापित करने की पहल की गयी है। अगले चरण में शहर

के entry एवं exit point, चुनिंदा व्यस्त बाजारों एवं स्थानों पर video surveillance तथा प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों एवं BRTS कोरिडोर में wi-fi की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

207. जयपुर शहर में यातायात के दवाब एवं पार्किंग की समस्या के निराकरण हेतु बस्सी तूंगा रोड़ पर एलसी 200 पर नवीन RoB का निर्माण, झोटवाड़ा RoB की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य, भवानी सिंह रोड़ से सोडाला तक नयी Elevated Road, प्रधान मार्ग मालवीय नगर तथा गणेश मंदिर, खिरणी फाटक के पास pedestrian under passes का निर्माण, टोंक रोड़ पर बंबाला पुलिया, जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर जेनपेक्ट के पास स्थित पुलिया एवं दिल्ली रोड़ पर गलता एवं ईदगाह के बीच स्थित दो पुलियाओं की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य एवं जगतपुरा RoB से गोनेर रोड़ तक 8 लेन सड़क का निर्माण कराया जायेगा। साथ ही गोविन्दपुरा–रोपाड़ा तथा मोटू का बास में मेरिज गार्डन–Resorts Hub की स्थापना की जायेगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज :

208. गत वर्ष पंचायतीराज संस्थानों का पुनर्गठन किया गया था। सरकार की मंशा है कि इन संस्थाओं को वित्तीय संसाधनों से और सशक्त किया जाये। अतः आगामी वर्ष में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिए 15 हजार 378 करोड़ 98 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

209. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को जल की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत चार वर्षों में 21 हजार गाँवों में जल

संरक्षण का कार्य करवाया जाकर पेयजल का स्थायी समाधान किया जायेगा। जनवरी, 2016 तक इस अभियान के तहत 3 हजार 318 गाँवों में कार्य प्रारंभ किये जा चुके हैं। आगामी वर्ष में इस अभियान हेतु 440 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

210. पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए एवं पंचायतों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की सम्पूर्ण जानकारी आमजन को सहजता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान ई–पंचायत व्यवस्था लागू की जायेगी, जिससे सम्पूर्ण सूचनाएं public domain पर उपलब्ध हो सकेंगी।

211. नवगठित 47 पंचायत समितियों को वाहन, कम्प्यूटर आदि उपलब्ध कराने के लिए 4 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

212. आज जब पंचायतीराज संस्थाओं को पहले से कहीं अधिक धनराशि विकास कार्यों के लिए मिल रही है तो हमें इस राशि का उपयोग गाँवों अथवा पंचायतों के समग्र और सुनियोजित विकास के लिए करना चाहिये। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न योजनाओं यथा–राज्य वित्त आयोग, क्षेत्रीय विकास योजनाओं, महात्मा गाँधी नरेगा, MLA LAD, MP LAD, जलग्रहण विकास, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना आदि से प्राप्त राशि का समग्र मूल्यांकन हो और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पंचायत अपनी वार्षिक योजना ऐसे बनायें, जिससे विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली राशि का convergence कर गाँव के समग्र विकास संभव हो सके।

इसी परिकल्पना को मूर्त रूप देते हुए, मैं निम्न नवीन योजनाएं प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ:–

– गाँवों को स्वच्छ रखने के लिए **'मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना'**। इस योजना पर आगामी वर्ष लगभग 125 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

– राज्य में किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए नवीन राजकीय भवनों के निर्माण हेतु योजना। आगामी वर्ष 2 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण पर 140 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

– ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह, वन क्षेत्रों एवं महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों की निजी भूमि की फसलों को आवारा पशुओं, रोजड़ों आदि से बचाने के लिए योजना।

– शिक्षा विभाग के तत्वाधान में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में उपलब्ध खेल मैदानों के विकास हेतु **'मुख्यमंत्री खेल मैदान विकास योजना'** वर्ष 2016–17 में 2 हजार ऐसे खेल के मैदान विकसित किये जायेंगे जिन पर लगभग 150 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

– ग्रामीण क्षेत्रों में श्मशान एवं कब्रिस्तान में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए **'मुक्तिधाम विकास योजना'** के तहत वर्ष 2016–17 में 1 हजार से अधिक श्मशान–कब्रिस्तानों का विकास किया जायेगा, जिस पर लगभग 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

– कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र में ग्राम पंचायत के लिए **'दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केन्द्र निर्माण एवं संचालन योजना'**।

213. ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निशमन सेवाओं का अभाव है। मैं घोषणा करती हूँ कि 15 हजार से अधिक आबादी वाली समस्त ऐसी पंचायतें जो अपने स्वयं के संसाधनों से अग्निशमन वाहनों का संचालन एवं रखरखाव करने के लिए इच्छुक हैं, उनको राज्य सरकार द्वारा अग्निशमन वाहन हेतु आवश्यक अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।

214. राज्य की सभी पंचायत मुख्यालयों पर नियत दिवस को पंचायत शिविर का आयोजन कर ग्रामीण जनता के पंचायत स्तर पर विचाराधीन कार्यों का निस्तारण किया जायेगा। इन शिविरों में आवासीय पट्टों का आवंटन, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जारी करने, पेंशन संबंधी कार्य एवं व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से संबंधित अन्य कार्य मौके पर ही सम्पादित किये जा सकेंगे।

215. ग्रामीण क्षेत्र में जनोपयोगी विकास कार्य के निर्माण हेतु चलायी जा रही गुरू गोलवलकर जन–भागीदारी विकास योजना में इस वित्तीय वर्ष में अब तक विद्यालयों, चिकित्सा संस्थानों के निर्माण कार्य, शमशान एवं कब्रिस्तान की चारदीवारी आदि के 842 कार्य पूर्ण किये गये हैं। इस योजना में दानदाताओं की बढ़ती सहभागिता को देखते हुए आगामी वर्ष में भी 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

216. गत् बजट में अन्य चिन्हित वर्गों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। आगामी वर्ष ऐसे वर्गों के परिवारों को आवास निर्माण हेतु सहयोग के लिए 31 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

217. राजीविका कार्यक्रम सन् 2011 में प्रारम्भ किया गया था परन्तु दिसंबर 2013 तक इसकी गति अत्यन्त धीमी रही। हमारी सरकार

ने इस योजना को प्राथमिकता से क्रियान्वित करते हुए गत् दो वर्षों में 21 हजार 447 स्वयंसहायता समूहों का गठन कर 2 लाख 50 हजार महिलाओं को लाभान्वित किया। इस कार्यक्रम के 90 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं। सदन को यह जानकर खुशी होगी कि MoTT MacDonald द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार राजीविका के साथ जुड़े 74 प्रतिशत स्वयंसहायता समूहों की महिलाओं की आमदनी बढ़ी है।

218. राजीविका के तहत सरकार द्वारा 1 हजार 683 गाँवों को लाभान्वित करते हुए राज्य में पहली बार 10 पंचायत समितियों में 42 cluster level federation का गठन किया गया है। चालीस गाँवों की लगभग 5 हजार महिलाओं की सहभागिता से प्रत्येक federation मिनी बैंक के रूप में कार्य कर सकेगा तथा वर्तमान में प्रत्येक federation के पास लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपये का corpus है।

219. महिला सशक्तीकरण को संबल प्रदान करने हेतु हमनें वर्ष 2015–16 में इस कार्यक्रम के तहत निम्न नवाचार भी किये हैं:–

– 1 हजार 500 महिलाएं जो स्वंयसहायता समूहों की सदस्य हैं, को women community resource person के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। ये महिलाएं अब नये स्वयंसहायता समूहों का गठन कर उस समूह की महिलाओं को प्रशिक्षित करती हैं। इनमें से कुछ महिलाओं ने प्रशिक्षण के माध्यम से अपने परिवार के लिए लगभग 1 लाख रुपये से भी अधिक आय का सृजन इस वित्तीय वर्ष में किया है।

– कुदुम्बाश्री–केरल की मदद से कोटा, भीलवाड़ा एवं उदयपुर में 48 हजार परिवारों को micro enterprises से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

– स्वयंसहायता समूह के लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान करने हेतु झालावाड़ जिले में स्वयंसहायता समूह की महिलाओं द्वारा एक toll free call centre का संचालन प्रारंभ किया गया है।

220. आगामी वर्ष में community resource persons के माध्यम से इस कार्यक्रम को 100 नयी पंचायत समितियों में प्रारम्भ किया जायेगा तथा 30 हजार नये स्वयंसहायता समूहों का गठन कर 4 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा।

डिजिटल राजस्थान एवं सुशासन

सूचना प्रौद्योगिकी :

221. राज्य में नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने की दृष्टि से सभी संभागीय मुख्यालयों पर I.T. enabled एकीकृत Command and Control Centres की स्थापना किये जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इन केन्द्रों के माध्यम से संवेदनशील संस्थाओं की CCTV कैमरों से निगरानी, समस्त आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों का संचालन एवं help line उपलब्ध करवायी जायेगी।

222. वन विभाग द्वारा राज्य के वन क्षेत्रों एवं विभिन्न अभ्यारण्यों के प्रभावशाली विकास एवं संधारण की सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा वानिकी संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए I.T. enabled तंत्र का निर्माण किया जायेगा।

223. मैंने वर्ष 2005 में state data centre के प्रथम चरण का लोकापर्ण किया था। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि 13 दिसंबर 2015 को मैंने state data centre के तीसरे चरण का लोकापर्ण किया। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए संसाधनों के विकास की आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान data centre में cloud की स्थापना की जायेगी तथा एक नये state data centre भवन का निर्माण किया जायेगा।

आयोजना :

224. वर्ष 2014–15 में BPL परिवार की महिला को भामाशाह कार्ड के साथ उनके बैंक खातों में 2 हजार रुपये दो किश्तों में हस्तांतरित करने की घोषणा की गयी थी। अब तक कुल 26 लाख पात्र महिलाओं में से 16 लाख 48 हजार महिलाओं के खाते में राशि हस्तांतरित की गयी है। वर्ष 2016–17 में 5 लाख 75 हजार BPL परिवार की महिलाओं को भामाशाह कार्ड के साथ उनके बैंक खातों में 2 हजार रुपये एकमुश्त हस्तांतरित करने के लिए 115 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

225. भामाशाह योजना के अंतर्गत लाभान्वितों को राशि हस्तांतरण सुविधा पंचायत स्तर से नीचे उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष में 15 हजार ई–मित्र pay points स्थापित किये जायेंगे। यह एक तरह से business correspondents के रूप में कार्य करेंगे। बैंकों के माध्यम से सुलभ सुविधा पहुँचानें की दृष्टि से इस वित्तीय वर्ष में अब तक 389 बैंक ब्रांच खोली जा चुकी हैं। आगामी वर्ष में बैंकों द्वारा प्रदेश में 500 नयी ब्रांच खोली जायेंगी।

226. वर्ष 2016–17 में भामाशाह योजना से जोड़ते हुए प्रदेश के किसानों को फसल ऋण से संबंधित ब्याज अनुदान, फसल बीमा एवं

न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ की राशि शीघ्र एवं पारदर्शी रूप से प्रदान की जायेगी। साथ ही, चरणबद्ध रूप से विभिन्न विभागों की नकद एवं गैर–नकद लाभ हस्तांतरण की योजनाओं को भामाशाह प्लेटफार्म से जोड़ा जायेगा।

227. भामाशाह योजना से सतत् रूप से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभान्वितों को जोड़ने तथा योजना तंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से मैं भामाशाह योजना एक्ट बनाने की घोषणा करती हूँ। इस एक्ट के माध्यम से समस्त विभागों की विभिन्न लाभ स्थानान्तरण की योजनाओं को आवश्यक रूप से भामाशाह योजना से जोड़ा जायेगा तथा भामाशाह प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो बार प्रत्येक पंचायत पर ग्राम सभा का आयोजन कर योजना के माध्यम से दिये गये लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन ग्राम सभा में रखा जायेगा। इस हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

228. किसी भी योजना का लाभ व्यक्ति एवं समूह तक पहुँचाने के लिए जनसामान्य को जागरूक किया जाना आवश्यक है। प्रथम चरण में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर electronic screen लगायी जायेगी जिसके माध्यम से financial inclusion की training सतत् रूप से दी जायेगी। इसके पश्चात यह सुविधा पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवायी जायेगी।

राजस्व एवं सैनिक कल्याण :

229. आगामी वर्ष में राजस्व विभाग के निर्माणाधीन भवनों के लिए 163 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही राजस्व

विभाग के कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए सभी कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही है। इस हेतु वर्ष 2016–17 में 13 करोड़ 70 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

230. ई–धरती कार्यक्रम के तहत राज्य के समस्त गाँवों के राजस्व नक्शों का digitization किया जायेगा। साथ ही आगामी तीन वर्षों में नक्शों का High Resolution Satellite Imagery के माध्यम से नवीनीकरण किया जायेगा। इस हेतु भू–प्रबंध विभाग के मुख्यालय एवं भू–प्रबंध अधिकारी कार्यालयों में GIS Laboratary की स्थापना की जायेगी।

231. कोटा में war-widow hostel, हनुमानगढ़ एवं राजगढ़–चूरू में सैनिक विश्रामगृह का निर्माण तथा सैनिक विश्रामगृह, उदयपुर के विस्तारीकरण का कार्य 2 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

232. राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम 1966 के तहत युद्ध सेवा मेडल सिरीज पदक धारक को भी 25 बीघा सिंचित भूमि, भूमि न लेने की स्थिति में नियमानुसार नकद तथा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल को 16 लाख रुपये, उत्तम सेवा मेडल धारक को 9 लाख 50 हजार रुपये एवं युद्ध सेवा मेडल धारक को 6 लाख 50 हजार रुपये की नकद राशि दिये जाने की घोषणा करती हूँ।

गृहः

233. प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराधियों को शीघ्र सजा दिलवाने के लिए पुलिस के साथ साथ भ्रष्टाचार निरोधक

ब्यूरो तथा अभियोजन विभाग को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जेल में विचाराधीन बंदियों एवं अपराधियों को उचित वातावरण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना भी हमारी प्राथमिकता है। इस हेतु मैं निम्न घोषणा करती हूँ :–

– आगामी तीन वर्षों में 1 हजार subordinate आवास बनाने की योजना लागू की जायेगी, जिस पर 190 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

– पुलिस लाइनों एवं थानों की मरम्मत एवं रख–रखाव के लिए आगामी वर्ष में 28 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

– पुलिस विभाग के निर्माणाधीन एवं नवीन प्रशासनिक भवनों के लिए 31 करोड़ रुपये,

– पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 34 करोड़ रुपये की लागत के उपकरण तथा 10 करोड़ रुपये के वाहन उपलब्ध करवाये जायेंगे।

– पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय झालावाड़ की क्षमता को 250 से बढ़ाकर 500 किया जायेगा।

– राष्ट्रीय पुलिस संचार नेटवर्क उपग्रह संचार तकनीक पर आधारित POL NET प्रणाली को upgrade करने हेतु 37 VSATs पर 1 करोड़ 56 लाख रुपये की लागत के नवीन उपकरण स्थापित किये जायेंगे।

– प्रत्येक रेंज में एक साईबर क्राईम यूनिट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, वर्तमान में राज्य में कार्यरत साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन को सुदृढ़ करने के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

- भ्रष्ठाचार निरोधक ब्यूरो के मुख्यालय के विस्तारीकरण का कार्य 3 करोड़ 89 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा। साथ ही ब्यूरो के लिए एक नये transcript lab की स्थापना की जायेगी।
- गृह रक्षा स्वयं सेवक कार्यालय प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर के नवीन भवन का निर्माण 2 करोड़ 8 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा।
- अजमेर एवं बीकानेर में राज्य विधि विज्ञान की प्रयोगशालाओं का निर्माण 44 करोड़ 74 लाख रुपये की लागत से करवाया जा रहा है। आगामी वर्ष इस हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- निर्माणाधीन एवं नवीन जेल भवनों के निर्माण हेतु 65 करोड़ 57 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- बंदियों की video conferencing system के माध्यम से न्यायालय में पेशी हेतु 34 स्थानों पर 1 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से connectivity उपलब्ध करवायी जायेगी।
- जोधपुर केन्द्रीय कारागार में स्थापित jammer को 3 करोड़ 84 लाख रुपये की लागत से upgrade किया जायेगा।
- दौसा, बीकानेर कारागृह एवं किशनगढ़वास, सांभरलेक, हिण्डौनसिटी, बयाना, मेड़तासिटी उपकारागृहों में 1 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से CCTV कैमरे स्थापित किये जायेंगे।
- प्रदेश के चयनित कारागृहों में एम्बूलेंस, एक्स–रे मशीन, सोनोग्राफी जैसे मेडिकल उपकरण उपलब्ध करवाये जाने हेतु 1 करोड़ 61 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- बंदियों को hygienic खाना उपलब्ध कराने की दृष्टि से चयनित कारागृहों में स्वचालित चपाती बनाने की मशीन, आटा एवं मसाला

पीसने की चक्की 1 करोड़ रुपये की लागत से उपलब्ध करवायी जायेगी।

– हनुमानगढ़, टिब्बी, संगरिया जिला हनुमानगढ़, झुंझुनूं, नवलगढ़ जिला झुंझुनूं एवं बाली जिला पाली में नवीन अभियोजन कार्यालय भवनों का निर्माण 2 करोड़ 31 लाख रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

विधि एवं न्याय :

234. प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए मैं निम्न नवीन न्यायालय खोलने की घोषणा करती हूँ:–

– मालाखेड़ा जिला अलवर एवं जमवारामगढ जिला जयपुर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय
– बीकानेर एवं जयपुर में एक–एक एवं कोटा में दो पारिवारिक न्यायालय
– भरतपुर में Motor Accidents Claim Tribunal
– फतेहपुर, खेरवाड़ा, जैसलमेर एवं चिड़ावा में एक–एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय

235. बांसवाड़ा मुख्यालय पर जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 29 करोड़ 91 लाख रुपये की लागत से court complex की स्थापना की जायेगी।

236. आगामी वर्ष में राज्य के न्यायालयों के भवनों के नवीन निर्माण के लिए 165 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में वादी एवं आमजन

हेतु प्रतीक्षालय, ramps, पार्किंग, शौचालय आदि की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 23 करोड़ 22 लाख रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

सूचना एवं जनसंपर्क :

237. सूचना एवं जनसंपर्क मुख्यालय के वर्तमान भवन का सुदृढ़ीकरण 2 करोड़ रुपये की लागत से करवाने की घोषणा करती हूँ और साथ ही जैसलमेर एवं चित्तौड़गढ़ में भी 1 करोड़ 92 लाख रुपये की लागत से नये सूचना केन्द्र भवनों का निर्माण करवाया जायेगा।

238. विभिन्न योजनाओं के प्रचार–प्रसार को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु social media प्रकोष्ठ का विस्तार करते हुए इसमें infographics का प्रयोग किया जायेगा।

वित्तीय प्रबंधनः

239. राज्य में वर्ष 1993 के बाद प्रथम बार General Financial and Accounts Rules में प्रदत्त की गयी वित्तीय शक्तियों का व्यापक संशोधन करते हुए इन शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया गया है, जिससे procurement, refund, write-off जैसे कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं हो। आगामी वर्ष में सार्वजनिक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम में दी गयी शक्तियों का भी विकेन्द्रीकरण किया जायेगा।

240. आगामी वर्ष में तहसील बाप, बालेशर जिला जोधपुर, नीमराना, रैनी जिला अलवर, तालेड़ा जिला बूंदी, बीदासर जिला चूरू, दूदू जिला जयपुर, मलसीसर, सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं, खण्डेला जिला सीकर, रियानबाड़ी, कुचामनसिटी, मूण्डवा जिला नागौर, भूसावर जिला भरतपुर में नवीन independent उपकोष कार्यालय स्थापित किये

जायेंगे। जिसके लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही वर्तमान में 8 तहसीलों में स्थापित उपकोष कार्यालयों के नवीन भवनों का निर्माण 2 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

कर्मचारी कल्याण :

241. हमारी सरकार ने गत् 26 माह में 80 हजार से भी अधिक नियुक्तियां दी हैं जबकि पिछली सरकार के प्रथम 26 माह के कार्यकाल में दी गयी नियुक्तियों की संख्या 22 हजार से भी कम थी। हमनें 1 लाख से अधिक अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की है। हमनें राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति कर दी है जिससे कि यह संस्थाये सुचारू रूप से कार्य कर सके। इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के मुख्यालय भवन का निर्माण आगामी वर्ष में प्रारम्भ किया जायेगा।

242. केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतनमान का revision किये जाने हेतु गठित सातवें वेतन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी गयी है। इस आयोग द्वारा की गयी अनुशंसाओं की क्रियान्विति के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा आदेश जारी किये जाने के पश्चात, राज्य कर्मचारियों का revised वेतनमान निर्धारण करने हेतु एक समिति का गठन किया जायेगा।

243. केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करते हुए मंत्रालयिक सेवा संवर्ग में multi task services (non-technical) के नवीन पद का सृजन किया जायेगा।

जिसकी सीधी भर्ती राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक चयन बोर्ड के माध्यम से करायी जायेगी।

244. समस्त राज्य कर्मचारियों के राज्य बीमा एवं GPF के ऋण, आहरण, अंतिम भुगतान के आवेदन, प्रथम एवं अधिक बीमा कटौती घोषणा पत्रादि online प्राप्त कर निस्तारण करने के लिए SIPF Portal एवं paymanager का सम्पूर्ण integration किया जायेगा। इससे राज्य के लगभग 7 लाख कार्मिक एवं उनके परिजन लाभान्वित होंगे।

245. वर्ष 2004 के बाद नियुक्त हुए राजकीय कर्मचारियों के पेंशन अंशदान के लिए 505 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही राज्यकर्मियों के समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत वर्तमान में देय राशि 2 लाख रुपये को बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश की पाँचों विद्युत कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए जारी mediclaim policy के बीमाधन को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जायेगा।

246. राज्य में सिविल सेवा प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर की बनाने के लिए हरिशचन्द्रमाथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान (HCM RIPA) के आधारभूत ढाँचे का जीर्णोद्धार चरणबद्ध रूप से कराया जायेगा। इस हेतु आगामी वर्ष में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

कर प्रस्ताव

247. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं अपने कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ।

248. प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पूर्व मैंने सभी वर्गों के सुझाव प्राप्त किए हैं। मैंने इस वर्ष बजट निर्माण में आमजन और जन–प्रतिनिधियों की सहभागिता को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से ऑनलाइन सुझाव आमंत्रित करने के साथ–साथ सम्भाग स्तर पर भी बैठकें आयोजित करके सुझाव प्राप्त किये हैं। इन सभी प्राप्त सुझावों में से व्यावहारिक सुझावों को कर प्रस्तावों में शामिल करने का प्रयास किया गया है।

249. राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु गत दो वर्षों में कर प्रणाली में पारदर्शिता लाने और इसके सरलीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये हैं। इन प्रयासों का परिणाम है कि World Bank द्वारा जारी Assessment of State Implementation of Business Reforms 2015 की रिपोर्ट में कर प्रक्रियाओं के संबंध में राज्य को पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

250. गत दो वर्षों में VAT संबंधी अधिकांश कार्य Dealers की सुविधा हेतु ऑनलाइन किये गये हैं। सभी Taxes के लिए Registration व Return के लिये एक ही Unified Form की व्यवस्था कर उसे ऑनलाइन कर दिया गया है। अब Digitally signed पंजीयन आवेदन करने पर dealer को कार्यालय में आये बिना ही Online Registration Certificate प्राप्त हो जाता है।

http://finance.rajasthan.gov.in

251. Dealers की सुविधा के लिए अपील तथा अन्य आवेदन जैसे Waiver, Rectification आदि ऑनलाइन कर दिए गए हैं। समस्त करों के लिए Demand and Collection Register (DCR) को भी ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे dealers को बिना कार्यालय आये बकाया डिमांड की सूचना उपलब्ध हो रही है।

252. मुझे यह भी अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वर्तमान में assessment online किये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत माह फरवरी, 2016 तक लगभग 2 लाख 18 हजार कर निर्धारण ऑनलाइन किये जा चुके हैं। मैं समझती हूँ कि VAT System के अन्तर्गत यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

253. यहाँ मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगी कि करों के भुगतान की सुविधा का विस्तार करते हुए **SBI e-pay Gateway** को e-GRAS (Government Receipt Accounting System) से जोड़ा गया है जिससे dealers को 8 बैंको के स्थान पर अब 35 बैंको के माध्यम से कर जमा कराने की सुविधा उपलब्ध हो गई है।

माल एवं सेवा कर (GST):

254. व्यापार और उद्योग को Globally Competitive बनाने के उद्देश्य से देश में GST प्रणाली लागू किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। GST लागू होने पर dealers को आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु एक **Dedicated Help Desk** स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

255. GST के Implementation के लिये विभाग के अधिकारियों, dealers, उद्योग संघों तथा Tax Return Preparers को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए वाणिज्यिक कर विभाग के मुख्यालय पर **State of the Art 'Capacity Building and IT Training Centre'** स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस centre में GST के विशेषज्ञों के द्वारा सभी Stake holders को GST से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है जिससे कि देश में GST लागू होने पर राज्य के व्यापारियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

IT System तथा Tax Collection प्रक्रिया का सरलीकरण :

256. अब मैं, वाणिज्यिक कर विभाग में IT system के माध्यम से Tax collection प्रक्रिया के सरलीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ।

257. वर्तमान में Mobile App के जरिये Form VAT-47A और VAT-49A उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। इस सुविधा का विस्तार करते हुए Dealer Search, payment, PAN, Forms & Certificates के Verification और सभी तरह की applications के status की जानकारी भी mobile app पर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। ये सुविधायें dealers को verification हेतु Anytime and Anywhere आधार पर उपलब्ध हो सकेंगी ।

258. Dealers और आमजन की कर संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु Online Suggestion और Grievance Redressal की

http://finance.rajasthan.gov.in

सुविधा विभागीय Portal और Mobile App के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

259. VAT में ऑनलाइन अपील की व्यवस्था से अच्छे परिणाम आये हैं। इस व्यवस्था को आगे बढाते हुए अन्य करों यथा Entry Tax, Luxury Tax and Entertainment Tax में भी ऑनलाइन अपील की सुविधा उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही समस्त करों के सम्बन्ध में अपील दायर करने हेतु Unified Appeal Form की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

260. गत वर्षों में VAT रिफण्ड हेतु ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गयी है, जिससे dealer के खाते मे सीधे ही रिफण्ड की राशि जमा हो जाती है। इसी क्रम में 220 करोड़ रूपये से अधिक के रिफण्ड सीधे ही व्यवहारियों के खाते में जमा करवाये गये हैं। इस सुविधा का विस्तार करते हुए Entry Tax, Luxury Tax और Entertainment Tax में भी ऑनलाइन रिफण्ड की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही समस्त करों के लिए Unified Refund Application Form की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

261. वाणिज्यिक कर विभाग में वर्ष 2015–16 में अपील दायर करने की ऑनलाइन व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2015–16 से पूर्व की लम्बित अपीलों को भी ऑनलाइन किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही Litigation सम्बन्धी मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए Centralized Litigation Tracking System प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

VAT अधिनियम और नियमों में संशोधनः

262. वर्तमान में dealer द्वारा principal place of business के परिवर्तन पर एक कर निर्धारण अधिकारी से दूसरे कर निर्धारण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में स्थानान्तरण की अनुमति के लिए 60 दिन की समय सीमा निर्धारित है, जिसे घटाकर 30 दिन किया जाना प्रस्तावित है।

263. Dealers द्वारा Return की hard copy प्रस्तुत नहीं करने के कारण उन पर Late fee की मांग कायम की गई है। Dealers की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए Late fee को राज्य सरकार के स्तर पर waive करने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

264. कुछ dealers की वर्ष के दौरान श्रेणी में परिवर्तन होने से उनको Form VAT-11 के स्थान पर Form VAT-10 प्रस्तुत करने का प्रावधान है। ऐसे dealers को पूर्व की अवधि का Form VAT-10 प्रस्तुत करने पर Late fee का दायित्व बनता है। Dealers को हो रही इस असुविधा को ध्यान में रखते हुये VAT नियमों में संशोधन प्रस्तावित है।

265. Works contractor द्वारा ठेके के सम्बन्ध में Exemption Certificate लिया जाता है। कई बार contractor को सम्बन्धित ठेके में बचे हुए माल, scrap आदि की बिक्री करनी पड़ती है जिसके कारण वह Form VAT-11 देने का अपात्र हो जाता है। ऐसे Works contractor को राहत देने के उद्देश्य से VAT नियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

266. कई बार dealers द्वारा गलती से चालान में time period का गलत अंकन हो जाता है अथवा गलती से राशि अधिक जमा हो जाती है। इस राशि का Adjustment या रिफण्ड प्राप्त करने के लिए assessment तक इंतजार करना पड़ता है जिससे उसे Liquidity की समस्या का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसी जमा राशि का शीघ्र Adjustment या रिफण्ड दिये जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

267. वर्तमान में विभाग द्वारा उपायुक्त के माध्यम से ऑनलाइन रिफण्ड जारी किए जा रहे हैं। Dealers को शीघ्र ऑनलाइन रिफण्ड देने के उद्देश्य से इस प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए अब सीधे ही Central Refund Officer के माध्यम से ऑनलाइन रिफण्ड दिया जाना प्रस्तावित है।

268. वर्तमान में dealers द्वारा प्रस्तुत rectification application को एक वर्ष के time period में निष्पादित करने का प्रावधान है। Dealers को सुविधा प्रदान करने के लिए इस time period को घटाकर 6 माह किया जाना प्रस्तावित है।

269. राज्य सरकार द्वारा अब तक लगभग पाँच हजार छोटे dealers को Digital Signatures की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। Dealers की सुविधा का ध्यान रखते हुये VAT invoice पर सामान्य Signature के साथ–साथ Digital Signature सम्बन्धी प्रावधान भी किया जाना प्रस्तावित है।

270. वर्तमान में Contractors को Awarder से TDS Certificate प्राप्त कर Assessing Authority के कार्यालय में जमा कराना पड़ता है।

http://finance.rajasthan.gov.in

Dealers की इस असुविधा को देखते हुये Awarder द्वारा Form VAT-40E में online return प्रस्तुत करने की स्थिति में, TDS Certificate स्वतः ही Contractor के dealer profile में generate किया जाना प्रस्तावित है।

271. वर्तमान में Awarder द्वारा प्रस्तुत Quarterly Return Form VAT-40E को Revise करने का प्रावधान नहीं है। अतः Form VAT-40E को वर्ष की समाप्ति से 3 माह तक Revise करने के प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

272. वर्तमान में धारा 27 के अन्तर्गत Audit, dealers के कार्यस्थल पर करवाये जाने के प्रावधान है। Dealers को सुविधा देने की दृष्टि से उन्हें Audit का स्थान चयन करने का विकल्प दिये जाने सम्बन्धी प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

273. मेरे द्वारा वर्ष 2014–15 के बजट में 1 अप्रैल, 2015 से समस्त assessment online किए जाने की घोषणा की गई थी। इस हेतु विभाग द्वारा online assessment module विकसित किया गया है। Online assessment की व्यवस्था प्रथम बार लागू होने से वर्ष 2013–14 के assessment विलम्ब से प्रारम्भ हुए हैं। अतः मैं, वर्ष 2013–14 के assessments को finalize करने की समय सीमा 31.07.2016 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित करती हूँ।

274. वर्तमान में Builders और Developers द्वारा अपने सभी projects के लिये lump sum tax जमा कराने का विकल्प एक साथ लेने का प्रावधान है। व्यावहारिक कठिनाईयों को देखते हुये, lump sum tax

http://finance.rajasthan.gov.in

जमा कराने की सुविधा को project wise प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा एक मुश्त कर भुगतान का विकल्प देने वाले Builders और Developers द्वारा registered sub-contractor को किये जाने वाले भुगतान पर TDS काटने की बाध्यता से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

275. Online generated घोषणा पत्र में कोई त्रुटि होने पर वर्तमान में इन्हें 6 माह में निरस्त किये जाने का प्रावधान है। व्यवहारियों की समस्याओं को देखते हुए इस अवधि को बढ़ाते हुये अतिरिक्त 6 माह तक अनुमति प्रदान करने के लिये उपायुक्त को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

276. राज्य में उद्योगों की कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये Capital Goods की परिभाषा में **Generating Set** को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

277. राज्य में बेहतर कर अनुपालना सुनिश्चित करने और commodity analysis के उद्देश्य से कुछ commodities को राज्य के भीतर परिवहन किये जाने तथा राज्य से गुजर कर अन्य राज्यों में ले जाने पर e-transit pass की व्यवस्था दिनांक 01.08.2016 से किया जाना प्रस्तावित है। उक्त e-transit pass को mobile app के माध्यम से भी generate किया जा सकेगा।

विद्युत शुल्क:

278. वर्तमान में राज्य सरकार को Electricity Duty Act के अन्तर्गत लगने वाले urban cess और water conservation cess को

http://finance.rajasthan.gov.in

माफ करने के अधिकार नहीं हैं। उपभोक्ताओं की व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण हेतु राज्य सरकार को exemption की शक्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से Electricity Duty Act में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

विलासिता कर (Luxury Tax):

279. होटल पर लगने वाले Luxury tax के Registration तथा कर निर्धारण आदि के प्रावधानों को VAT Act के अनुरूप करने के उद्देश्य से Luxury Tax Act में संशोधन प्रस्तावित है। इसके साथ ही taxability के सम्बन्ध में स्पष्टता लाने के लिये Luxury Tax नियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रवेश कर:

280. वर्तमान में e-Commerce के माध्यम से राज्य में माल का आयात किया जा रहा है। प्रदेश में ऐसे लाये जा रहे माल पर प्रभावी नियंत्रण तथा करारोपण हेतु प्रवेश कर अधिनियम में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही ऐसे लाये जा रहे माल पर वर्तमान में अधिसूचित माल से भिन्न VAT के तहत कर योग्य माल पर 5.5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना प्रस्तावित है।

औद्योगिक निवेश हेतु प्रोत्साहन:

281. **राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014** के परिणाम काफी उत्साहजनक रहे हैं। इस योजना के तहत राज्य में 252 उद्यमियों द्वारा लगभग 8 हजार 96 करोड़ रूपयों का निवेश होगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

282. उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को RIPS-2014 के अन्तर्गत निम्न संशोधित लाभ दिया जाना प्रस्तावित है:–

(i) भू–रूपान्तरण शुल्क की छूट 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत

(ii) employment generation subsidy की सीमा सामान्य श्रेणी के कार्मिक के लिये 25 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रूपये तथा महिला /SC/ST/विशेष योग्य जन श्रेणी के कार्मिक की दशा में 30 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रूपये।

283. Employment generation subsidy तथा भूमि रूपान्तरण शुल्क का बढ़ाया गया उक्त लाभ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और विशेष योग्य जन श्रेणी के उद्यमियों को भी दिया जाना प्रस्तावित है।

284. RIPS-2014 के अन्तर्गत backward area और most backward area में लगने वाले उद्यमों को अतिरिक्त लाभ दिये गये हैं। राज्य के ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार सृजन के अवसरों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से RIPS-2014 के लागू होने की तारीख से अतिरिक्त लाभ निम्नानुसार दिया जाना प्रस्तावित है:–

- विद्युत शुल्क में 50 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
- investment subsidy और employment generation subsidy के लाभ के लिये EFCI की सीमा लागू नहीं होगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

- backward area में लगने वाले उद्योगों को 0.5 प्रतिशत विशेष ब्याज अनुदान देय होगा।
- most backward area में लगने वाले उद्योगों को 1 प्रतिशत विशेष ब्याज अनुदान देय होगा।

285. वर्तमान में backward area और most backward area में उपलब्ध अतिरिक्त लाभ notified जिलों और जनजातीय उप–योजना क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्यमों को प्राप्त नहीं होते हैं। अब मैं, notified जिलों तथा जनजातीय उप–योजना क्षेत्र के पूरे क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्यमों को भी ऐसे समस्त लाभ प्रदान किया जाना प्रस्तावित करती हूँ।

286. प्रदेश में food processing एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इसमें निवेश एवं रोजगार की प्रचुर संभावनाऐं मौजूद हैं। अतः RIPS–2014 में food processing sector को thrust sector घोषित करते हुये food park में स्थापित होने वाली food processing ईकाइयों को अतिरिक्त अनुदान और रियायतें दिये जाने की घोषणा करती हूँ।

287. राज्य सरकार द्वारा कृषि आधारित उद्योगों में निवेश हेतु नवम्बर 2016 में **Global Rajasthan Agritech Meet 2016** का आयोजन किया जायेगा। राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु Rajasthan Agro-Processing and Agri-Marketing Promotion Policy-2015 जारी की गई है। वर्तमान में कृषि आधारित उद्यमों को RIPS-2014 के अन्तर्गत कई लाभ दिये जा रहे हैं। इसी क्रम में Agro

http://finance.rajasthan.gov.in

Processing and Agri Marketing Sector के निम्न उद्यमों को भी RIPS-2014 के अन्तर्गत लाभ देने की घोषणा करती हूँ:–

- 2 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली आटा, मैदा, सूजी और बेसन की flour milling ईकाइयां
- Malt manufacturing enterprises

इसके साथ ही Fish feed manufacturing enterprises को भी ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाना प्रस्तावित करती हूँ।

288. राज्य में Bio-technology सम्बन्धित उद्योगों के विकास की अत्यधिक संभावना को देखते हुये Bio-technology Policy-2015 जारी की गयी है। अत: Bio-technology sector को RIPS-2014 के अन्तर्गत thrust sector में सम्मिलित किया जाकर निम्न लाभ दिया जाना प्रस्तावित है:–

- ऐसे उद्योगों द्वारा 5 करोड़ से अधिक और 25 करोड़ रूपये तक के निवेश पर 60 प्रतिशत investment subsidy और 10 प्रतिशत employment generation subsidy प्रस्तावित है।
- 25 करोड़ से अधिक के निवेश पर investment subsidy 70 प्रतिशत और employment generation subsidy 10 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- ऐसे उद्योगों को प्रवेश कर में भी Capital goods के आयात पर 100 प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

- ऐसे उद्योगों को 100 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश तथा 200 से अधिक रोजगार सृजन करने पर customized package का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

289. वर्तमान में proprietership/partnership इकाई के स्वामित्व हस्तान्तरण पर नये क्रेता को लाभ दिये जाने के प्रावधान RIPS-2010 तथा RIPS-2014 के अन्तर्गत नहीं है। ऐसी इकाईयों को हस्तान्तरण पश्चात् शेष रही अवधि के लिये बचे हुए लाभ नये क्रेता को दिये जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

290. निवेशकों की भ्रांतियों के निवारण के लिये मैं, RIPS-2014 की negative list की entry number-5 में संशोधन प्रस्तावित करती हूँ।

291. वर्तमान में RIPS-2010 के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों से जारी किए गए आदेशों में apparent mistake पाये जाने पर उसे rectify करने हेतु प्रावधान नही हैं। इस कारण आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए RIPS-2014 के अनुरूप rectification से सम्बन्धित प्रावधान RIPS-2010 में भी सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

292. RIPS-2010 के अन्तर्गत electricity duty से छूट के लाभ service sector enterprises को भी प्राप्त हो सकें, इसके लिये संबंधित अधिसूचना में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

VAT / Cess दर सम्बन्धी प्रस्तावः

293. आमजन को राहत देने के उद्देश्य से विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों को निम्नानुसार कम किया जाना प्रस्तावित है:—

http://finance.rajasthan.gov.in

➢ निम्न वस्तुओं पर VAT माफ किया जाना प्रस्तावित है:–

क्र.सं.	वस्तुओं के नाम
1.	Solar Torch, Biomass Stove.
2.	Kerosene lamp/ Hurricane lantern, Kerosene wick stove, Kerosene pressure stove.
3.	Lai (लाई), Pattu, Ghunghru, Saw dust.
4.	Sugarcane, Sattu, Khakhra, Unbranded toast or rusk.
5.	Articles of Marble up to Rs. 1000/- per item.
6.	Sewing needle, Safety Matches.
7.	Ganga Jal, Ganga Arghya packed in sealed containers, Camphor (कपूर).
8.	Earthern Roofing Tiles (Kelu)
9.	Animal Shoe and its Nails
10.	Rubber Playball & Balloons
11.	Hand Pumps, Parts and fittings

➢ राज्य के कारागृहों की उद्योग शालाओं में निर्मित उत्पादों को वैट से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

➢ VAT की दरों को तर्कसंगत करने के क्रम में निम्नलिखित वस्तुओं पर VAT की दर 14.5 प्रतिशत से घटाकर 5.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है:–

क्र.सं.	वस्तुओं के नाम
1.	Measuring Tape & Vernier Calipers.
2.	Dental implants.
3.	Pickle excluding branded pickle.
4.	All types of Plastic goods including plastic grills and unbranded plastic moulded furniture.

http://finance.rajasthan.gov.in

5.	All types of carpets.
6.	Electric Switchgear.
7.	SD card, memory card, pen drive.
8.	Health fitness and gymnastic equipments, fat losing belts, body vibrating items, morning walker, acupressure machines, thermal massager.

- सभी प्रकार के यार्न पर VAT की दर 5.5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- वर्तमान में पान का पत्ता (Betel leaves) कर मुक्त है परन्तु तैयार पान पर 14.5 प्रतिशत VAT देय है। इसे कम करते हुये 5.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- भारी माल वाहक यान, जिनका Gross Vehicle Weight 12,000 किलो ग्राम से अधिक है, पर VAT की वर्तमान दर 15 प्रतिशत से 13 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

294. Captive power generation पर देय urban cess और water conservation cess को retrospective प्रभाव से माफ किया जाना प्रस्तावित है।

295. वर्तमान में VAT अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत ठेकेदारों के लिये Works contract सम्बन्धी TDS की दर 6 प्रतिशत है। ठेकेदारों की cash liquidity की समस्या को देखते हुए TDS की दर को 6 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

296. राज्य सरकार सैनिक कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है। हाल ही में CSD (Canteen Stores Department) द्वारा किये जा रहे माल की बिक्री पर 3 प्रतिशत की सीमा से अधिक देय VAT को exempt किया गया है। सैन्य अधिकारियों द्वारा बताई गई कुछ कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में war widows, सेवानिवृत सैन्य कर्मियों तथा उनकी विधवाओं आदि को भी शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

297. राज्य में निवेश को बढ़ावा देने तथा विदेशी निवेशकों के लिये अनुकूल वातावरण बनाने के लिये राज्य सरकार कृतसंकल्प है। इसी क्रम में जापानी जोन और कोरियाई जोन में स्थापित औद्योगिक इकाईयों के लिये Inter-State sale पर 0.25% की concessional CST rate की समयावधि को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

प्रवेश कर:

298. राज्य के औद्योगिक वातावरण को Investor friendly बनाने तथा उद्योग जगत की मांग को देखते हुये गत वर्ष मैंने 14 वस्तुओं को प्रवेश कर से मुक्त करने के साथ–साथ 18 वस्तुओं पर प्रवेश कर को कम किया था। उद्योग जगत की मांग को देखते हुए राज्य में लागू निम्न वस्तुओं पर से प्रवेश कर मे पूर्ण छूट दिया जाना प्रस्तावित है:–

क्र.सं.	वस्तु का नाम
1.	ACSR conductors
2.	All kinds of telephone and parts thereof
3.	Insulators

http://finance.rajasthan.gov.in

4.	Photocopiers
5.	Stay wire
6.	Television sets, washing machine, microwave oven
7.	Tin containers
8.	Aerated water
9.	Mineral water and water sold in sealed containers

Amnesty schemes (VAT & Entry Tax):

299. इस वित्तीय वर्ष में वाणिज्य कर विभाग और पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा जारी की गई Amnesty schemes का लाभ राज्य के नागरिकों और व्यवहारियों द्वारा काफी संख्या में उठाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रवेश कर से संबंधित मामलों में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से Amnesty scheme लाया जाना प्रस्तावित है।

300. इस Entry Tax Amnesty Scheme के अन्तर्गत ऐसे व्यवहारी जिनकी कुल बकाया डिमांड 31 दिसम्बर, 2015 तक 20 करोड़ से कम है, उन्हें ब्याज व पैनल्टी में राहत दी जानी प्रस्तावित है। यह योजना 31 मार्च, 2016 तक लागू रहेगी।

301. वर्तमान में प्रचलित VAT की amnesty scheme की समयावधि 15 मार्च, 2016 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2016 तक किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इस योजना में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों का निराकरण करते हुये इस योजना का लाभ मोटर वाहन पर लगने वाले प्रवेश कर की बकाया मांग पर भी दिया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

302. उपर्युक्त प्रोत्साहन, अनुदान और कर छूट की घोषणा के पश्चात् प्रदेश में विकास कार्यों को गति प्रदान करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिये उपाय किया जाना प्रस्तावित है। समृद्ध और विकसित राजस्थान का सपना पूरा करने के लिये व्यापार और उद्योग जगत की सहभागिता के साथ–साथ प्रदेश के सभी नागरिकों से भी मैं सहयोग की अपेक्षा करती हूँ।

303. अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिये कर की दरों में निम्न परिवर्तन प्रस्तावित हैं:–

- Aerated Water पर VAT की दर 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
- Semi-stitched garments पर 5.5 प्रतिशत की दर से VAT लगाया जाना प्रस्तावित है।
- Used motor vehicle को casual commodities की श्रेणी में अधिसूचित किया जाकर इस पर देय VAT को जमा कराने के तरीके एवं अन्तराल में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।
- ग्वार गम तथा ग्वार गम पाउडर पर 5.5 प्रतिशत की दर से VAT लगाया जाना प्रस्तावित है।
- सभी प्रकार के Cigarettes पर VAT की वर्तमान दर में 15 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।
- सभी प्रकार के यार्न पर 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

- कैश डिपॉजिट मशीन तथा ऑटोमैटिक टिकट वेंडिग मशीन पर 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाया जाना प्रस्तावित है।
- बेसिक व क्लासिक श्रेणी हेरीटेज होटलों को छोड़कर अन्य होटलों जिनका प्रतिदिन किराया दस हजार से अधिक है, पर luxury tax की वर्तमान दर 10 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

पंजीयन एवं मुद्रांक:

304. वर्तमान में एक वित्तीय वर्ष में DLC की बैठक आयोजित नहीं होने पर भूमि की मूल्यांकन दरों में आगामी वित्तीय वर्ष की 1 अप्रेल से 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान है। आमजन के आवास के सपने को साकार करने हेतु मैं यह घोषणा करती हूँ कि **आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 में कृषि, आवासीय और व्यावसायिक भूमि की मूल्यांकन दरों में DLC द्वारा कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।**

305. वर्तमान में बैंक गारंटी के दस्तावेज पर और इसके नवीनीकरण पर 0.25 प्रतिशत की दर से तथा अधिकतम 25000/– रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय है। उद्योग और व्यापार जगत को बैंक गारण्टी का नवीनीकरण कराने पर प्रत्येक बार इसी दर से ड्यूटी देनी पड़ती है। अतः उन्हें सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 09.03.2015 से निष्पादित बैंक गारण्टी के नवीनीकरण पर देय स्टाम्प ड्यूटी में रियायत प्रदान करते हुए इसकी अधिकतम सीमा को 1000/– रूपये किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

306. उद्योग संघों द्वारा 9 मार्च, 2015 से पूर्व निष्पादित बैंक गारंटी और इसके नवीनीकरण से सम्बन्धित दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर 0.10 प्रतिशत में छूट प्रदान करने की मांग की गई है। उनकी इस मांग को ध्यान में रखते हुए, मूल बैंक गारण्टी और इसके नवीनीकरण पर देय स्टाम्प ड्यूटी की दर को 0.10 प्रतिशत से घटाकर क्रमशः 1000/– रूपये और 100/– रूपये तक भूतलक्षी प्रभाव से किया जाना प्रस्तावित है।

307. सहकारी गृह निर्माण समितियों के भूखण्डों के नियमन हेतु दिनांक 30.11.2015 तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों/स्थानीय निकायों द्वारा जारी किये गये पट्टों पर दी गई स्टाम्प ड्यूटी की छूट दिनांक 31.12.2015 तक उपलब्ध थी। इन संस्थाओं द्वारा अभी भी लगातार पट्टे जारी किये जा रहे हैं। अतः आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि को दिनांक 31.12.2015 से बढ़ाकर 30.09.2016 किया जाना प्रस्तावित है।

308. आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग और अल्प आय वर्ग श्रेणी के परिवारों को प्राथमिकता से आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा **मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015** का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत EWS और LIG श्रेणी को आवंटित आवासीय units पर स्टाम्प ड्यूटी क्रमशः 50 और 100 रूपये के लिए अधिसूचना जारी की जा रही है।

http://finance.rajasthan.gov.in

309. राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 की धारा 35 और 36 के अधीन कलक्टर द्वारा किये जाने वाले Adjudication के मामलों में स्टाम्प ड्यूटी की गणना वर्तमान बाजार मूल्य पर की जाती है और इस ड्यूटी पर देय ब्याज की गणना दस्तावेज निष्पादन की दिनांक से की जाती है। वर्तमान मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी वसूलने के बाद पक्षकारों पर ब्याज के रूप में पड़ने वाले अनावश्यक भार से राहत प्रदान करते हुये दस्तावेज निष्पादन की दिनांक से कलक्टर के निर्णय की दिनांक तक देय ब्याज में छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

310. गत सरकार के कार्यकाल में बाड़मेर जिले के पचपदरा और जसोल उप पंजीयक क्षेत्रों में दस्तावेजों का पंजीयन दिनांक 11 जुलाई, 2013 से 2 मार्च, 2014 तक रोक दिया गया था। इस कारण कई आवंटी अपने आबादी के पट्टों का पंजीयन कराने से वंचित रह गये हैं। ऐसे आवंटियों पर आवंटन मूल्य के स्थान पर वर्तमान बाजार दर से स्टाम्प ड्यूटी चुकाने का भार आ रहा है। अतः ऐसे पट्टाधारियों को राहत देते हुए, मैं घोषणा करती हूँ कि ऐसे आवासीय पट्टों की लीज डीड निष्पादन पर बाजार मूल्य के स्थान पर आवंटन मूल्य पर ही स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी।

311. भू–उपयोग परिवर्तन एवं समान प्रकृति के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर में रियायत प्रदान करते हुये इसको तर्कसंगत किया जाना प्रस्तावित है।

312. बहुमंजिला इमारतों में 3 मंजिल और उससे ऊपर की मंजिलों के बेचान पर आनुपातिक भूमि के मूल्यांकन की दर को

http://finance.rajasthan.gov.in

50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही कतिपय श्रेणी की भूमि और निर्माण के मूल्यांकन की दरों को तर्कसंगत करने के लिये इनसे संबंधित प्रचलित अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

313. गत बजट में राज्य सरकार द्वारा without possession वाले समान प्रकृति के loan agreements पर 0.15 प्रतिशत की दर से एक समान स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की गई थी। इसी क्रम में अब समान प्रकृति के Further charge के दस्तावेजों पर भी स्टाम्प ड्यूटी की दर 2 प्रतिशत से घटाकर 0.15 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

314. ऐसे without possession वाले ऋण दस्तावेजों पर registration fees भी एक प्रतिशत की दर से देय है। व्यापारिक संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुये ऐसे ऋण दस्तावेजों पर registration fees की अधिकतम सीमा को 25 हजार रूपये किया जाना प्रस्तावित है।

315. राज्य में वृहत उद्योग स्थापित करने या अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये ऋण लेने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान स्टाम्प एक्ट के Article 5, 6, 30 और 37 में आने वाले ऋण दस्तावेजों जिनमें सम्पत्ति का कब्जा नहीं दिया गया हो, पर स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रूपये निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

316. बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले अधिकांश प्रकार के loan के दस्तावेजों पर 0.15 प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी

http://finance.rajasthan.gov.in

देय है। निम्नलिखित loan दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दिया जाना प्रस्तावित है:—

- वर्तमान में छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा के लिये शैक्षणिक ऋण लेने का चलन बढ़ा है। राज्य के छात्रों को राहत देने के उद्देश्य से 10 लाख रूपये तक के शैक्षणिक ऋण के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।
- मैंने राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण हेतु ऋण प्रदान करने के लिये विशेष योजना लाये जाने की घोषणा की है। मैं इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण हेतु दिये जाने वाले 2 लाख रूपये तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी से भी छूट प्रदान करने की घोषणा करती हूँ।
- MUDRA Yojana के अन्तर्गत non-corporate small business sector को 10 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले लोगों को राहत देने के उद्देश्य से MUDRA योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले 10 लाख रूपये तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दिया जाना प्रस्तावित है।
- Rajasthan Startup Policy 2015 के अन्तर्गत राज्य में Startups को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Startup स्थापित करने हेतु लिये जाने वाले 10 लाख रूपये तक के ऋण के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

- वरिष्ठ नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा निष्पादित reverse mortgage के दस्तावेजों पर भी स्टाम्प ड्यूटी में छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

317. वर्तमान में business convenience के कारण company तथा Partnership firm की अपेक्षा Limited Liability Partnership (LLP) का गठन किया जाना अधिक प्रचलन में है। कई प्रकरणों में मौजूदा Company तथा Partnership firm का भी LLP के रूप में रूपान्तरण किया जा रहा है। अतः LLP से संबंधित दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में स्टाम्प एक्ट के Schedule में पृथक से प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही Company और Partnership firm को LLP के रूप में रूपान्तरित किये जाने पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत भी दिया जाना प्रस्तावित है।

318. कम्पनियों और बैंकों के Reconstruction, Amalgamation, Merger और Demerger के आदेशों पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना और निर्धारण को सरल बनाने हेतु स्टाम्प एक्ट के Schedule के relevant Article में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

319. सम्पत्ति के पंजीयन में आमजन की सुविधा हेतु Ease of Doing Business के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाऐं प्रदान की जानी प्रस्तावित हैं:—

- किसानों की सुविधा हेतु कृषि ऋण से संबंधित mortgage deed का पंजीकरण करने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

* बैंक द्वारा निष्पादित दस्तावेजों पर वसूल की गई स्टाम्प ड्यूटी की सूचना ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिये समुचित व्यवस्था किया जाना भी प्रस्तावित है।

* आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के शेष सभी 38 पूर्णकालिक उप–पंजीयक कार्यालयों को e-panjiyan software से जोड़ा जाना तथा 100 पदेन उप–पंजीयक कार्यालयों को e-stamp व्यवस्था से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

* विभाग द्वारा प्रदान की जा रही ऑनलाइन सुविधाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए गत वर्षों के पंजीकृत दस्तावेजों को digitize किया जाकर विभागीय software पर उपलब्ध कराने एवं पंजीकृत दस्तावेजों की online search की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है।

* ऑनलाइन दस्तावेज feed करने वाले पक्षकारों को time slot आवंटन की ऑनलाइन व्यवस्था संभागीय मुख्यालय के उप–पंजीयक कार्यालयों से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

* आमजन की सुविधा हेतु उप–पंजीयक कार्यालयों में computerised help desk की व्यवस्था शुरू किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में जयपुर शहर के सभी उप–पंजीयक कार्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

http://finance.rajasthan.gov.in

- दस्तावेजों के पंजीयन हेतु पक्षकारों की सहमति लेकर उनकी आधार संख्या से ऑनलाइन सत्यापन होने पर गवाहों की उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त की जायेगी।

- राजस्थान स्टाम्प नियमों में संशोधन कर e-mail द्वारा पक्षकारों पर नोटिस तामील कराने के प्रावधान किये जायेंगे।

320. e-stamp विक्रय करने वाले सभी stamp vendors की भौतिक स्टाम्प पेपर बेचने की सीमा को पचास हजार रूपये से बढ़ाकर एक लाख रूपये करने की घोषणा करती हूँ ।

321. पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के सुदृढ़ीकरण और कार्य निष्पादन की सुगमता के उद्देश्य से निम्न कदम उठाये जाने प्रस्तावित है:—

- विभाग में पूर्णकालिक उप—पंजीयक के पद पर तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया जाता है, जिनका कुछ समय बाद अन्य विभागों में स्थानान्तरण होने के कारण विभाग में नियमों की जानकारी रखने वाले अनुभवी अधिकारियों की कमी बनी रहती है। देश के अधिकांश राज्यों में Registration & Stamps का independent cadre है। अतः राज्य के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को सशक्त करने के उद्देश्य से तहसीलदार सेवा के अधिकारियों के साथ—साथ सीधी भर्ती के माध्यम से भी उप—पंजीयकों की भर्ती के लिये मैं, इस विभाग का अलग cadre गठित करने की घोषणा करती हूँ।

http://finance.rajasthan.gov.in

- नागरिकों की सुविधा हेतु जैसलमेर जिले की उप–तहसील सम, रामगढ़ और नोख तथा जयपुर जिले की उप–तहसील कालवाड़ को दस्तावेजों के पंजीयन के अधिकार दिये जाने प्रस्तावित हैं।
- कलक्टर के निर्णय के विरूद्ध राजस्थान टैक्स बोर्ड में revision दायर करने की वर्तमान समयावधि को विभाग के लिये 90 दिवस से बढ़ाकर आदेश की तामील की तिथि से 180 दिवस किया जाना प्रस्तावित है।
- कलक्टर के निर्णय में रही त्रुटियों को ठीक करने के लिए स्टाम्प एक्ट की धारा 52 में निर्धारित 90 दिवस की समयावधि को बढाकर 2 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।
- साथ ही कलक्टर द्वारा पारित त्रुटिपूर्ण और राजस्व हित के विरूद्ध निर्णयों से संभावित राजस्व हानि को रोकने के उद्देश्य से वैट अधिनियम की तर्ज पर स्टाम्प एक्ट में भी कलक्टर के निर्णय के revision की शक्तियां महानिरीक्षक को प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

322. वर्तमान में Family property के संबंध में निष्पादित Release deed, settlement तथा Partition deed पर पृथक–पृथक दर से स्टाम्प ड्यूटी ली जा रही है। चूंकि ऐसे सभी दस्तावेज परिवार के सदस्यों के बीच ही निष्पादित होते हैं, अतः इन सभी दस्तावेजों पर 1.50 प्रतिशत की दर से एक समान स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

323. Leave and License दस्तावेजों की प्रकृति lease documents के समान होती है और सामान्यतः lease के स्थान पर इस दस्तावेज को निष्पादित किये जाने की सम्भावना रहती है। अतः Leave and License के दस्तावेज पर lease दस्तावेज के समान ही स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

324. Works contract पर स्टाम्प ड्यूटी की वर्तमान दरों को तर्कसंगत करते हुए 0.25 प्रतिशत की दर तथा अधिकतम सीमा 15 हजार रूपये निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

325. Acknowledgment, Administration Bond, Adoption deed, Affidavit, General Agreement, Certificate of Sale, Share Certificate, Copy or extract, Cournterpart or duplicate, Supplementary instrument, Letter of license, Partnership deed पर स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधानों को वर्तमान परिपेक्ष्य में संशोधित कर तर्कसंगत किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही कलक्टर द्वारा किये जाने वाले Adjudication के मामलों में देय फीस का revision किया जाना प्रस्तावित है।

326. वर्तमान में immovable property के Conveyance documents पर registration fees की दर 1 प्रतिशत है। जबकि immovable property से संबंधित इकरारनामों पर registration fees की दर 1 प्रतिशत तथा अधिकतम सीमा 50 हजार रूपये निर्धारित है। अतः इकरारनामों पर पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा को conveyance पर देय पंजीयन शुल्क के समान किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

गौवंश संरक्षण एवं संवर्धनः

327. गौवंश संरक्षण और संवर्धन के लिये राज्य सरकार कृतसंकल्प है। इस हेतु वित्तीय व्यवस्था करने के लिये कुछ दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर अधिकतम 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज लगाये जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्व एवं उपनिवेशनः

328. गत वर्ष उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के सभी श्रेणी के आवंटियों को कृषि भूमि आवंटन के पेटे बकाया किश्तों की राशि को दिनांक 1 अप्रेल, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 तक एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज में छूट दी गई थी। इस छूट का लगभग 5500 आवंटियों ने लाभ प्राप्त किया है।

329. शेष रहे किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उपनिवेशन क्षेत्र के सभी श्रेणी के आवंटियों को कृषि भूमि आवंटन के पेटे बकाया किश्तों की राशि को दिनांक 1 अप्रेल, 2016 से 30 सितम्बर, 2016 तक एक मुश्त राशि जमा कराने पर ब्याज में छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

330. किसानों में उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना के लिये कृषि भूमि के एक एकड़ तक के क्षेत्रफल** को संपरिवर्तन शुल्क से मुक्त रखा जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

स्थानीय निकाय /नगरीय विकास एवं आवासन विभाग:

331. आमजन को राहत देने के उद्देश्य से स्थानीय निकायों की तरफ बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज राशि में 50 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है तथा बकाया और आगामी समस्त वर्षों की देय लीज राशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर शत–प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु दिनांक 30 जून, 2016 तक आवेदन करना होगा तथा लीज राशि जमा कराने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2016 होगी। लीज राशि जमा कराने की यह राहत उपरोक्त अनुसार नगर विकास न्यास, राजस्थान आवासन मण्डल तथा जयपुर, जोधपुर और अजमेर विकास प्राधिकरण के लिये भी 30 सितम्बर, 2016 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

332. शहरी क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए डे–केयर सेंटर की स्थापना हेतु योग्य संस्थाओं को अधिकतम 500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित आवासीय दर के 50 प्रतिशत पर आवंटित की जायेगी। साथ ही इस प्रकार के डे–केयर सेंटरों की स्थापना हेतु भूमि रूपांतरण/भू–उपयोग परिवर्तन पर लिये जाने वाले सभी शुल्क भी माफ किये जायेंगे।

परिवहन:

333. राज्य में मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के अन्तर्गत छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी दी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत स्कूटियों पर लगने वाली registration fees, one time road tax, green tax तथा सरचार्ज आदि की राशि को माफ किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति छात्रा निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजना के वाहनों पर tax की दी गई छूट के साथ ही registration fees तथा green tax में भी छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

334. Tractor और Tractor Trolley के वाणिज्यिक उपयोग के लिये पंजीयन हेतु वर्तमान में 9 प्रतिशत lump sum tax जमा कराने की सुविधा उपलब्ध है। इसे कम करते हुये Tractor Trolley combination पर tractor की कीमत का 1 प्रतिशत lump sum tax लिया जाना प्रस्तावित है। **कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने वाले Tractor Trolley पर one time tax की छूट यथावत रहेगी।**

335. Tourist and contract carriage permit धारक बसों के लिये देय विशेष पथ कर की अधिकतम दर में भी 12 वर्षों से अधिक समय से परिवर्तन नहीं किया गया है। हाल ही में प्रारम्भ की गई लोक परिवहन सेवा पर विशेष पथ कर की मासिक दर 30 हजार रूपये है। अतः Tourist and contract carriage permit धारी बसों के लिये देय विशेष पथ कर को तर्कसंगत करते हुये इसकी वर्तमान अधिकतम दर रूपये 25 हजार से बढ़ाकर रूपये 32 हजार किया जाना प्रस्तावित है।

336. गत वर्ष राज्य के पर्यटकों को बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से recognised tour operators को देय विशेष पथ कर में 50 प्रतिशत छूट दी गई थी। इनकी विशेष पथ कर देयता को घटाकर अधिकतम रूपये 12,500 तक सीमित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार राज्य के औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों में स्थायी अनुबन्ध

http://finance.rajasthan.gov.in

पर लगी 13 सीट से अधिक क्षमता वाली contract carriage buses के लिये देय विशेष पथ कर में भी 50 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

337. वर्तमान में non transport light vehicles पर मूल्य आधारित करारोपण किया जा रहा है। इस व्यवस्था में डीजल चालित वाहनों की कोई विशेष श्रेणी नहीं है। अब इस व्यवस्था में परिवर्तन कर ऐसे वाहनों पर देय one time tax को Engine capacity और fuel आधारित कर इसको तर्कसंगत किया जाना प्रस्तावित है।

338. वर्तमान में Green Tax नये और पुराने सभी वाहनों पर समान है। पुराने वाहनों से पर्यावरण को अधिक नुकसान होने की सम्भावना रहती है। अतः पुराने वाहनों के प्रचालन को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रीन टैक्स की दर को वाहनों के make year/registration year के आधार पर श्रेणीकृत करते हुये बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

339. वर्तमान में 10 लाख रूपये से अधिक मूल्य के भार वाहनों पर मोटर वाहन कर और विशेष पथ कर की दरें 10 लाख की कीमत के बाद Ad-valorem ना होकर specific है। अतः 10 लाख रूपये से अधिक मूल्य के भार वाहनों पर मोटर वाहन कर और विशेष पथ कर को Ad-valorem करते हुये तर्कसंगत किया जाना प्रस्तावित है।

340. गत वर्ष 7500 किलोग्राम Gross Vehicle Weight तक के भार वाहन तथा Taxi और Maxi cab श्रेणी के दिनांक 01.04.2007 या इसके बाद पंजीकृत हुये वाहनों पर एक मुश्त कर अनिवार्य किया गया था। इस एक मुश्त कर को एक वर्ष में 6 समान किश्तों मे जमा कराने का

http://finance.rajasthan.gov.in

विकल्प दिया गया है। एक मुश्त कर के दायरे को बढ़ाते हुये अब 12000 कि.ग्रा. Gross Vehicle Weight तक के ट्रकों और 13 सीट तक बैठक क्षमता वाले निजी सेवा यानों के लिये भी समान प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

वन्य जीव संरक्षण:

341. Tiger reserve में वन्य जीवों का संरक्षण तथा इन क्षेत्रों में पर्यटन का विकास स्थानीय लोगों के रचनात्मक सहयोग से ही संभव है। स्थानीय समुदाय की उन्नति में पर्यटन उद्योग की भागीदारी के क्रम में प्रथम चरण में राज्य के रणथम्भौर एवं सरिस्का Tiger reserve के 10 किलोमीटर की परिधि में संचालित होटल, रिसॉर्ट आदि पर Local conservation fees लागू किया जाना प्रस्तावित है। यह फीस tiger conservation foundation द्वारा वसूल की जायेगी और सम्बन्धित tiger reserve से लगते हुए गांवों में eco-development और स्थानीय समुदाय की उन्नति के लिये उपयोग में ली जायेगी।

आधारभूत संरचना का विकास:

342. दस्तावेजों के पंजीयन में आम जन की सुविधा हेतु जसोल, निम्बाहेड़ा, नाथद्वारा, कुचामन सिटी, पाली, बीकानेर एवं भीलवाड़ा में उप पंजीयक कार्यालय के नवीन भवनों का निर्माण कराया जायेगा।

343. वाणिज्यिक कर विभाग के श्रीगंगानगर एवं कोटा मे नए संभागीय कार्यालय, प्रतापगढ़, जैसलमेर, दौसा, धौलपुर, टोंक में नए वृत कार्यालय एवं डीग में घट कार्यालय के नए भवनो का निर्माण कराया जायेगा।

http://finance.rajasthan.gov.in

344. साथ ही राजसमंद, पाली, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़ एवं टोंक जिलों में जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय भवनों का भी निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

345. वर्तमान में वाणिज्यिक कर विभाग में राजस्व संग्रहण में वृद्धि हेतु अत्याधुनिक Big Data तकनीक से युक्त analytic system का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगामी वर्ष में इसे खान, परिवहन एवं आबकारी विभाग में भी लागू किया जाना प्रस्तावित है।

346. मेरे इन कर प्रस्तावों से लगभग **300** करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय सम्भावित है, तथा **325** करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी गई है।

347. इन प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित हैं। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।

348. साथ ही मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति हेतु तथा कुछ वस्तुओं की कर दर संबंधी प्रविष्टियों एवं कुछ अधिसूचनाओं में clarificatory संशोधन और अन्य प्रयोजनार्थ भी कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं।

http://finance.rajasthan.gov.in

संशोधित अनुमान 2015–16 एवं बजट अनुमान 2016–17 :

349. बजट भाषण के प्रारंभ में मैंने सदन को अवगत कराया था कि कैसे गत् सरकार के कुप्रबंधन के कारण राज्य सरकार को DISCOMs के revival के लिए उदय योजना लागू करनी पड़ रही है। हांलाकि इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋण को वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के राजकोषीय घाटे में नहीं गिना जाना है, परंतु मेरा दायित्व है कि सदन को इस योजना से राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर पड़ने वाले असर से अवगत कराउं। अतः राज्य के बजट के विभिन्न fiscal indicators को उदय योजना में debt take over प्रभाव सहित एवं उदय योजना के प्रभाव के बिना प्रस्तुत कर रही हूँ।

350. संशोधित अनुमान वर्ष 2015–16 का संक्षिप्त विवरण उदय योजना के **प्रभाव के बिना** निम्नानुसार हैः–

1.	राजस्व प्राप्तियाँ	1	लाख	6	हजार	790	करोड़	49	लाख	रुपये
2.	राजस्व व्यय	1	लाख	12	हजार	22	करोड़	24	लाख	रुपये
3.	राजस्व घाटा			5	हजार	231	करोड़	75	लाख	रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियाँ			30	हजार	684	करोड़	75	लाख	रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय			25	हजार	433	करोड़	54	लाख	रुपये
6.	पूंजी खाते में आधिक्य			5	हजार	251	करोड़	21	लाख	रुपये

351. संशोधित अनुमान वर्ष 2015–16 का संक्षिप्त विवरण उदय योजना के **प्रभाव सहित** निम्नानुसार हैः–

1.	राजस्व प्राप्तियाँ	1	लाख	6	हजार	790	करोड़	49	लाख	रुपये
2.	राजस्व व्यय	1	लाख	12	हजार	22	करोड़	24	लाख	रुपये
3.	राजस्व घाटा			5	हजार	231	करोड़	75	लाख	रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियाँ			73	हजार	649	करोड़	39	लाख	रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय			68	हजार	398	करोड़	18	लाख	रुपये
6.	पूंजी खाते में आधिक्य			5	हजार	251	करोड़	21	लाख	रुपये

352. वर्ष 2016–17 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण उदय योजना के **प्रभाव के बिना** (interest payment का प्रभाव शामिल) निम्नानुसार हैः–

1.	राजस्व प्राप्तियाँ	1 लाख 23 हजार 250 करोड़ 53 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय	1 लाख 23 हजार 52 करोड़ 52 लाख रुपये
3.	राजस्व आधिक्य	198 करोड़ 1 लाख रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियाँ	27 हजार 956 करोड़ 24 लाख रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय	28 हजार 75 करोड़ 23 लाख रुपये
6.	पूंजी खाते में घाटा	118 करोड़ 99 लाख रुपये

353. वर्ष 2016–17 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण उदय योजना के **प्रभाव सहित** निम्नानुसार हैः–

1.	राजस्व प्राप्तियाँ	1 लाख 23 हजार 250 करोड़ 53 लाख रुपये
2.	राजस्व व्यय	1 लाख 32 हजार 52 करोड़ 52 लाख रुपये
3.	राजस्व घाटा	8 हजार 801 करोड़ 99 लाख रुपये
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियाँ	48 हजार 89 करोड़ 48 लाख रुपये
5.	पूंजी खाते में व्यय	39 हजार 208 करोड़ 47 लाख रुपये
6.	पूंजी खाते में आधिक्य	8 हजार 881 करोड़ 1 लाख रुपये

योजना आकारः

354. वर्ष 2016–17 में उदय के **प्रभाव के बिना** योजना का आकार 79 हजार 560 करोड़ 6 लाख रुपये होगा तथा उदय के **प्रभाव सहित** इसका आकार 99 हजार 693 करोड़ 30 लाख रुपये होगा।

राजस्व घाटा/आधिक्य :

355. वर्ष 2015–16 में राजस्व घाटा 5 हजार 231 करोड़ 75 लाख रुपये रहा। इसका मुख्य कारण अंतरर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की

कीमतों में भारी गिरावट के कारण राजस्व में कमी, केन्द्र से प्राप्त होने वाले केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में कमी तथा विद्युत वितरण कंपनियों को दिये जा रहे अनुदान में वृद्धि रही है। वर्ष 2016–17 के बजट अनुमानों में उदय के **प्रभाव के बिना** (interest payment का प्रभाव शामिल) 198 करोड़ 1 लाख रुपये का राजस्व आधिक्य एवं उदय के **प्रभाव सहित** 8 हजार 801 करोड़ 99 लाख रुपये का राजस्व घाटा रहने का अनुमान है। वर्ष 2016–17 में उदय के **प्रभाव सहित** राजस्व घाटा और उदय के **प्रभाव के बिना** राजस्व आधिक्य में जो अंतर है, उसका कारण वर्ष 2016–17 में उदय योजना के तहत विद्युत वितरण कंपनियों को दिये जाने वाला 9 हजार करोड़ रुपये का अनुदान है।

राजकोषीय घाटा :

356. वर्ष 2015–16 के संशोधित अनुमानों के अनुसार उदय के **प्रभाव के बिना** राजकोषीय घाटा 24 हजार 385 करोड़ रुपये रहा जो कि GSDP का 3.62 प्रतिशत है। उदय के **प्रभाव सहित** राजकोषीय घाटा 67 हजार 350 करोड़ रुपये होगा, जो कि GSDP का 9.99 प्रतिशत है। इसके कारणों के बारे में मैंने पहले भी उल्लेख किया है। वर्ष 2016–17 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा उदय योजना के **प्रभाव के बिना** (interest payment का प्रभाव शामिल) 23 हजार 14 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कि GSDP का 3 प्रतिशत है।

357. वर्ष 2016–17 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा उदय योजना के **प्रभाव सहित** 43 हजार 147 करोड़ 24 लाख रुपये अनुमानित है, जो कि GSDP का 5.62 प्रतिशत है।

358. उदय के प्रभाव के बिना और उदय के प्रभाव सहित राजकोषीय घाटे में जो अंतर है, उसका कारण वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में इस

योजना के तहत लगभग 40 हजार करोड़ रुपये तथा 20 हजार करोड़ रुपये के debt take over के लिए की जाने वाली अतिरिक्त borrowing है। वर्ष 2017–18 से इस योजना के तहत कोई भी अतिरिक्त borrowing अनुमत नहीं होगी, परंतु पूर्व में की गयी borrowing की ब्याज अदायगी का असर राज्य के वित्तीय indicators पर भविष्य में भी नजर आयेगा।

359. मैं, वर्ष 2016–17 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रही हूँ। साथ ही, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्त्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 की अपेक्षानुसार मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण, राजवित्तीय नीतियुक्त विवरण एवं प्रकटीकरण विवरण, मैं सभा पटल पर रख रही हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

360. इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूँ।